CON. 3. 4.3.47
750

अंक 4
संख्या 3

बुधवार
16 जुलाई,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर	1
2.	समितियों के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का चुनाव	1
3.	अनुकरणीय प्रान्तीय विधान के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में रिपोर्ट	3

भारतीय विधान-परिषद

बुधवार, 16 जुलाई, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के 3 बजे अध्यक्ष, माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद, के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने परिचय-पत्र पेश किये और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये:

1. श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी (पूर्वी रियासतों का समूह)।

2. श्री रामप्रसाद पोताई (पूर्वी रियासतों का समूह)।

श्री श्रीप्रकाश (संयुक्त प्रान्त: जनरल): श्रीमान्, पेश्तर इसके कि आप आज की कार्रवाई शुरू करें, मैं आपकी निगाह में एक ऐसी बात लाना चाहता हूं जिसे मैं सभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों पर जबर्दस्त कुठाराघात समझता हूं। मैंने यह देखा कि उन तांगों (सवारी) को जिन पर सदस्य आये थे, इस भवन की बरसाती में नहीं आने दिया गया। कल तक तो उन्हें (तांगों को) यहां आने दिया गया पर आज जबकि उन्हें बारिश की वजह से इसकी और ज्यादा जरूरत थी, एक यूरोपियन सार्जेण्ट बरसाती के बाहर उनको रोक देता था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या सदस्य पानी में तर-बतर हो जायें ? तो उसने यही जवाब दिया कि उसको यही हुक्म है कि केवल मोटरों को ही बरसाती में जाने दिया जायेगा। श्रीमान्, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी बद्तमीजी है जिसे स्वयं आप नहीं बरदाश्त करेंगे।

***अध्यक्ष:** मैं सेक्रटरी को इस मामले को देखने का आदेश दूंगा।

समिति के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का चुनाव

***अध्यक्ष:** मुझे इस बात की सूचना देने में बड़ी प्रसन्नता है कि उपाध्यक्ष पद के लिये केवल दो ही उम्मीदवारों के नाम नियमानुसार प्रस्तावित और

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[अध्यक्ष]

समर्पित हुये हैं। एक हैं, डा. एच.सी. मुकर्जी और दूसरे सर बी.टी. कृष्णमाचार्य। मैं इन दोनों सज्जनों को इस परिषद् का नियमानुसार निर्वाचित उपाध्यक्ष घोषित करता हूं।

सभा को मालूम है कि कुछ और समितियों के लिये सदस्यों को चुनने की बात तय हुई थी। इन चुनावों का नतीजा भी मुझे सुना देना है।

इस सभा के 14 जुलाई, सन् 1947 ई. के प्रस्तावानुसार निम्नलिखित सदस्य भिन्न-भिन्न समितियों के लिये नामजद किये गये हैं।

1. क्रेडेंशियल्स कमेटी:
   - बख्शी सर टेकचन्द
   - बी. पोकर साहब बहादुर
   - श्री रामसहाय

2. हाउस कमेटी:
   - चौधरी मुहम्मद हुसैन
   - श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
   - श्री जयनारायण व्यास

3. स्टीयरिंग कमेटी:
   - हाजी सैयद मुहम्मद सादुल्ला
   - मिस्टर अब्दुल कादिर मुहम्मद शेख
   - श्री सुरेन्द्रमोहन घोष
   - श्री जगत नारायण लाल
   - आचार्य जे.बी. कृपलानी
   - ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर
   - श्री चेंगलराया रेड्डी
   - श्री बलवन्तराय मेहता
   - दीवान चम्मन लाल

4. स्टाफ एण्ड फाइनान्स कमेटी:
   - श्री भवनजी अर्जन खेमजी
   - श्री के. सन्तानम्

सभी कमेटियों के लिये उतने ही उम्मीदवारों के नाम आये हैं जितनी कि जगहें खाली हैं। इसलिये मुझे इस बात को घोषित करने में बड़ी प्रसन्नता है कि सभी उक्त सदस्य इन कमेटियों के नियमानुसार निर्वाचित सदस्य हैं।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): श्रीमान्, यहां एक वैधानिक प्रश्न है। मैं समझता हूं कि डा. एच.सी. मुकर्जी और बख्शी सर टेकचन्द ने अभी तक रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और इसलिये वे तब तक उन कमेटियों के सदस्य नहीं चुने जा सकते जब तक कि वे बाकायदा रजिस्टर पर हस्ताक्षर न कर दें।

***अध्यक्ष:** रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद ही वे सदस्य की हैसियत से काम कर सकेंगे। यहां आते ही वे रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर देंगे।

अनुकरणीय प्रान्तीय विधान के सम्बन्ध में रिपोर्ट

***अध्यक्ष:** अब हम कल के प्रस्ताव पर बहस को लेंगे।

***काजी सैयद करीमुद्दीन** (मध्य प्रांत और बरार: मुस्लिम): श्रीमान्, मैं एक वैधानिक महत्व का प्रश्न उठाता हूं। पूर्वी राजपूताना की रियासतों के प्रतिनिधि महाराजा नगेन्द्रसिंह इण्डियन सिविल सर्विस के एक सदस्य हैं और इनका नाम सूची में है। वे न तो अपनी नौकरी से अलग हुये हैं और न उन्होंने अपना कार्यकाल ही समाप्त किया है। क्या सम्राट का वेतनभोगी कर्मचारी सम्पन्न भारतीय विधान-परिषद् का सदस्य हो सकता है ? क्या यह बात उनके लिये अवैध या असंगत नहीं है कि एक तरफ तो वे बरतानवी सम्राट के प्रति निष्ठा रखें और साथ ही साथ सर्वसत्ता-सम्पन्न भारतीय विधान-परिषद् के सदस्य भी बने रहें ? ''सक्सेशन टू दी क्राउन एक्ट'' की 25वीं धारा में कहा गया है: ''यदि कोई व्यक्ति लोक-सभा (हाउस ऑफ कामन्स) का सदस्य चुने जाने पर सम्राट की ओर से कोई भी लाभ का ओहदा लेगा तो इस हालत में जब तक वह लोक-सभा का सदस्य रहेगा, उसका चुनाव रद्द समझा जायेगा और इसके द्वारा रद्द घोषित किया जाता है।''

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि जिन सज्जन का उल्लेख किया गया है वे अब भारत सरकार के रक्षा-विभाग में काम नहीं करते हैं और बूंदी रियासत में सम्भवत: दीवान के पद पर काम करने जा रहे हैं। वही वहां से चुने गये हैं।

***काजी सैयद करीमुद्दीन:** न तो उन्होंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया है और न उनकी नौकरी ही खत्म की गई है।

***अध्यक्षः** हमारे नियमों के अनुसार यह कोई अयोग्यता नहीं है।

कल पहला खण्ड पेश किया गया था और उस पर मौलाना हसरत मोहानी ने एक संशोधन रखा था। प्रस्ताव और संशोधन दोनों पर ही अब बहस हो सकती है।

खंड 1—जारी

***श्री एच.वी. कामठः** अध्यक्ष महोदय, कल हम सभी ने एक ऐसी वक्तृता सुनी जो मेरी समझ से इस सभा में अपने ढंग की पहली वक्तृता थी। यह वक्तृता कई बातों में बेजोड़ थी। यह वक्तृता राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय समाजवाद, गणतंत्रवाद तथा साम्यवाद आदि कतिपय वादों की खिचड़ी थी। इसमें क्या नहीं था ? यह वक्तृता उग्रता की दृष्टि से बेजोड़ थी। परन्तु इन सब बातों के बावजूद मैंने उस वक्तृता को उतने ही ध्यान और सम्मान के साथ सुना जितना कि मौलाना हसरत मोहानी की वक्तृता के लिये लाजिमी है। हम सब समझते हैं कि मौलाना साहब अनुभवी हैं, पुराने योद्धा हैं और उन्होंने भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम की अनेकों लड़ाइयों में विजय पाई है। आज आपका राजनैतिक आदर्श कुछ भी क्यों न हो, आज आपने भले ही एक भिन्न राजनैतिक जामा पहल रखा हो, पर हमें खूब मालूम है कि अतीत में राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में आपने सदा ही कुशल योद्धा का काम किया है। हम उन दिनों को अभी नहीं भूले हैं जब मौलाना साहब कांग्रेस में हमारे साथ थे, जब वे महात्मा गांधी तथा कितने ही हमारे श्रद्धेय नेताओं के नजदीकी सहकर्मी थे परन्तु जो वक्तृता आपने कल यहां दी वह हमारे ध्यान में आये बिना नहीं रह सकती। उसमें संशोधन के सम्बन्ध में तो एक तरह से कुछ भी नहीं कहा गया और अन्य इधर-उधर की बातें इतनी कही गई कि मेरे लिये यह समझना मुश्किल था कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं। मौलाना साहब का ख्याल है कि ''गवर्नर'' शब्द की जगह ''प्रेसीडेंट'' शब्द रख देने से ही वह मानों जादू की तरह हर प्रान्त में समाजवादी प्रजातंत्र स्थापित कर देंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं यह नहीं समझ पाता कि केवल गवर्नर की जगह प्रेसीडेंट रख देने से ही इतना बड़ा परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है ? हम अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका का प्रेसीडेंट फ्रान्स के प्रेसीडेंट से किस तरह भिन्न है। हम जानते हैं कि जर्मनी का चांसलर-रीख चांसलर या फुहरर यूरोप के अन्य चांसलरों से बहुत भिन्न था। इसलिये मुझे तो इस शाब्दिक परिवर्तन में कोई खास बात नजर नहीं आती।

दूसरी दलील जिस पर आपने बहुत जोर दिया, वह थी समाजवाद की। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भी, जिनके फारवर्ड ब्लाक का जिक्र मौलाना साहब

ने अपने भाषण में किया है, बार-बार यह बात कहा करते थे कि फिलहाल हमारा लक्ष्य है, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति–एक संयुक्त स्वतंत्र और बलवान भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति। उनका कहना था कि स्वतंत्रता पा लेने के बाद ही हमें अपनी शक्ति को समाज निर्माण-सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों में लगाना चाहिये। मुझे मौलाना साहब से इस बात की सब से कम आशा थी कि समाजवाद की दलील वह इस सभा के सामने रखेंगे। मैं जानता हूं कि आज मौलाना साहब मुस्लिम लीग के एक स्तम्भ हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मुस्लिम लीग ने साम्प्रदायिकता के आधार पर भारत के विभाजन की मांग की और यह मांग आज पूरी हुई। मेरी समझ से साम्प्रदायिकता को किसी भी राजकीय काम का आधार बनाना समाजवाद के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अगर आज मौलाना साहब हमारे सामने खड़े होकर हमें समाजवाद की सीख देते हैं तो उनसे कहूंगा–''ए वैद्यराज, पहले अपने मर्ज का इलाज तो कर लीजिये''। जो लोग सम्प्रदायवादी नीति से बंधे हैं, जो लोग सम्प्रदायवादी दल के सदस्य हैं, वे हमारे सामने समाजवाद की दलील नहीं पेश कर सकते, जब तक कि साम्प्रदायिक नीति का वे परित्याग न करें। एक साम्प्रदायिक संगठन के सदस्य के मुंह समाजवाद की दलील अशोभनीय है। हम लोगों को जो महात्मा गान्धी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में चलते हैं, समाजवाद के सम्बन्ध में किसी भी सीख की जरूरत नहीं है। समाजवाद की शिक्षा अगर किसी के लिये जरूरी है, तो मुस्लिम लीग के लिये जरूरी है जो गत कई वर्षो से बड़ी प्रचंडता के साथ साम्प्रदायिक नीति का उपदेश दे रही थी और आज जिसे कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हो गई है। व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी मौलाना साहब से कहूंगा कि भारतीय राजनीति के प्रति उनका जो रुख है, दृष्टिकोण है, उस पर वे पुनः विचार करें। मैं उनसे कहूंगा कि आखिर अपने पाकिस्तान में जनता के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ? क्या आप पाकिस्तान की जनता से यह कहेंगे कि ''समाजवादी नीति के आधार पर इंडियन यूनियन–भारतवर्ष–की जनता के साथ मिलकर चलो। अपनी सम्प्रदायवादी नीति का परित्याग करो और एक स्वतंत्र सुदृढ़ समाजवादी भारतीय संघ की स्थापना के लिये अग्रसर हो जाओ ?'' मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इस बात को दुहराऊंगा कि यह संशोधन बेमतलब है और 'गवर्नर' शब्द की जगह 'प्रेसीडेंट' शब्द रखने में कोई लाभ नहीं है। हमने 'प्रेसीडेंट' की संज्ञा इंडियन यूनियन के प्रधान के लिये रख छोड़ी है। यूनियन और प्रान्तों के प्रधानों की संज्ञा के बीच कुछ न कुछ अन्तर होना ही चाहिये। उन कारणों से मैं मौलाना हसरत मोहानी के संशोधन का विरोध करता हूं।

***अध्यक्षः** यदि प्रस्तावकर्ता उत्तर में कुछ कहना चाहते हों, तो वे अब ऐसा कर सकते हैं।

***मौलाना हसरत मोहानी** (संयुक्त प्रान्तः मुस्लिम): क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति मिलेगी ?

***अध्यक्षः** संशोधान रखने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं प्राप्त है।

***मौलाना हसरत मोहानीः** पूर्व वक्ता पूछ रहे थे ''मौलाना हसरत मोहानी क्योंकर समाजवादी बन गये हैं ? वह तो सम्प्रदायवादी हैं, इत्यादि, इत्यादि'' व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के रूप में, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि सभा को इस व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में कोई खास दिलचस्पी है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल** (बम्बईः जनरल): श्रीमान् जी, संशोधनकर्ता ने अपने संशोधन के समर्थन में जो भाषण दिया है, उसका मैं उत्तर दूंगा। मैं देखता हूं कि वे दूसरी बार कुछ कहने के लिये उत्सुक थे। उन्होंने यह संशोधन रखा है कि बजाय 'गवर्नर' के प्रत्येक प्रान्त के लिये एक 'प्रेसीडेंट' हो। संघीय केन्द्र में हमने एक प्रेसीडेंट रखा है और अगर प्रान्तों में भी प्रेसीडेंट होंगे, तो इससे कुछ उलझाव पैदा होगा। ये गवर्नर बालिग मताधिकार के आधार पर चुने जायेंगे। इसलिये हम लोगों में यह मिथ्या धारणा नहीं आनी चाहिये कि नये विधान में जो कुछ भी शब्द आये हैं, वह उस विधान में सन्निहित पुराने अर्थो को ही सूचित करते हैं जिसके अन्तर्गत हम आज अपना कार्य चला रहे हैं। यह एक सीधी-साधी बात है, जिसमें न कोई गलतफहमी होनी चाहिये और न आगे अन्य विवाद ही। मुझे आशा है कि संशोधन वापस ले लिया जायेगा।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

'' 'गवर्नर' शब्द की जगह 'प्रेसीडेंट' शब्द रखा जाये।''

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि आप उस खंड पर मत लें, क्या आप मुझे चन्द शब्द कहने की अनुमति देंगे ?

***अध्यक्षः** मैंने सभी सदस्यों को इस संशोधन पर बोलने का अवसर दिया था, पर उस समय तो इस पर किसी ने बोलना न चाहा।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरूः** अब तक संशोधन पर वाद-विवाद हो रहा था। समूचे खंड पर तो कोई वाद-विवाद हुआ नहीं।

***अध्यक्षः** मैंने साफ तौर पर कहा था कि खंड और संशोधन दोनों पर ही बहस हो सकती है और वाद-विवाद में शामिल होने के लिये सदस्यों को मैंने आमन्त्रित भी किया था, जब कोई भी बोलने के लिये न उठा तो मैंने समझा कि उस मसले पर किसी को कुछ भी नहीं कहना है।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरूः** अगर आपका यही मत है, जिस विधि से आप चल रहे हैं उसके अनुसार और बहस की अनुमति नहीं दी जा सकती तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन यदि अभी भी सदस्य इस पर सरसरी तौर पर कुछ कह सकते हैं तो इस अवसर का मैं प्रसन्नता से उपयोग करूंगा।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि इस पर बोलने का समय समाप्त हो चुका है। जो लोग मूल प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विरोध में हैं वे 'ना'।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मैं खंड दो को पेश करता हूं जो गवर्नर के पद की अवधि से सम्बन्ध रखता है:

''2 (1) गवर्नर 4 वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहेगा जब तक कि मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत किये जाने की दशा न उत्पन्न हो जाये। (2) गवर्नर कथित दुराचरण के लिये सार्वजनिक दोषारोपण से पदच्युत किया जा सकेगा। अभियोग प्रान्तीय व्यवस्थापिका लगायेगी और जहां व्यवस्थापिका की दो सभायें हों वहां नीचे की सभा अभियोग लगायेगी और फेडरल गवर्नमेंट की ऊपर की सभा

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

अभियोग सुनेगी। हर एक दशा में सम्बन्धित सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों के प्रस्ताव का समर्थन करना होगा।''

***डा. पी.एस. देशमुख** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): खंड 1 के सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन है जिस पर विचार नहीं हो पाया है। वह संशोधनों की पूर्वक सूची में है।

***अध्यक्ष:** मुझे भय है कि एक गलती हो गई है। खंड 1 में कई संशोधनों की सूचना गत रात को मिली है। जिन सदस्यों ने नये संशोधनों की सूचना दी है उन्हें संशोधन पेश करने का मौका मैंने नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि उन्हें भी एक-एक करके अपना संशोधन उपस्थित करने का मौका मिलना चाहिये था। मेरी भूल की वजह से वे क्यों नुकसान में रहें।

(श्री आर.वी. धुलेकर ने अपना संशोधन नहीं पेश किया।)

***डा. पी.एस. देशमुख:** मेरा संशोधन, श्रीमान्!

***अध्यक्ष:** वह उपखंड (3) में आता है जो अब पेश किया जायेगा।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** मैं उपखंड (3) को नहीं पेश करना चाहता। मैं उपखंड (4) को पेश करता हूं जो अब उपखंड (3) होगा। यह यों है:

''(3) गवर्नर को एक बार किन्तु एक ही बार पुनर्निर्वाचन का अधिकार होगा।''

सभा की स्वीकृति के लिये मैं इस खंड के 3 उपखंडों को पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** श्री सिधवा के दो संशोधन हैं।

***श्री आर.के. सिधवा:** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल) मैं उन्हें नहीं पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** अब श्री संतानम् अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि:

''खण्ड 2 के उपखण्ड (2) में 'फेडरल पार्लियामेण्ट की ऊपर की सभा अभियोग सुनेगी' शब्दों की जगह 'फेडरल पार्लियामेण्ट की ऊपर की सभा अपने एक स्पेशल कमीशन द्वारा जांच के बाद अभियोग की पुष्टि करेगी' शब्द रखे जायें।''

संघ-विधान में इसी तरह की व्यवस्था प्रेसीडेण्ट पर सार्वजनिक दोषारोपण के सम्बन्ध में रखी गई है। वहां यह बात निर्धारित कर दी गई है कि नीचे वाली सभा अभियोग लगायेगी और ऊपर वाली सभा जांच के लिये एक कमीशन नियुक्त करेगी और जब उसे उसका पूरा सन्तोष हो जायेगा कि अभियोग प्रमाणित हो गया है, तो वह (ऊपर वाली सभा) एक प्रस्ताव द्वारा अभियोग की पुष्टि करेगी। मैंने यही विधि यहां अपनाई है अन्यथा इसका यह होगा कि समूची ऊपर की सभा गवर्नर पर लगाये हुये अभियोग को सुनेगी। इससे बड़ी असुविधा होगी और प्रान्त की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा, क्योंकि गवर्नर का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर होने जा रहा है। आशा है, सभा यह संशोधन स्वीकार करेगी।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, उपखण्ड को हटाने के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अच्छा होगा कि सरदार वल्लभभाई पटेल बाज़ाप्ते उपखण्ड को सभा की स्वीकृति के लिये ज्यों का त्यों पेश कर दें और फिर जो अंश हटाने जरूरी हों, उनके हटाने के लिये, किसी से एक संशोधन रखवा दें। यह एक कमेटी की रिपोर्ट है और इसे पेश करने वाले सदस्य को चाहिये कि उसे ज्यों का त्यों पेश करें और उसके बाद अनावश्यक अंशों को निकालने के लिये एक संशोधन रखवायें। इसलिये उचित यह होगा.....।

***अध्यक्ष:** यह प्रश्न उठाया गया है कि प्रस्तावकर्ता को इस बात का अधिकार नहीं है कि रिपोर्ट में दिये हुये किसी खण्ड को वह हटा दें। वह तो एक संशोधन द्वारा ही हटाया जा सकता है। जिस पर प्रस्तावकर्ता अपनी स्वीकृति दे देंगे।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** यह आपत्ति तो टेक्निकल किस्म की या महज़ रस्मी ढंग की है। मैं नहीं समझता कि इससे कोई वास्तविक अन्तर पड़ता है। अस्तु, अगर ऐसी बातों का भी समाधान करना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा तो उपखण्ड (3) कायम रहा। इससे प्रयोजन में कोई अन्तर नहीं आता है।

***अध्यक्षः** अब पं. पन्त अपना संशोधन पेश करेंगे।

माननीय पं. गोविन्द वल्लभ पन्त (संयुक्त प्रान्तः जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''खंड 2 का उपखंड (3) हटा दिया जाये।''

इस उपखण्ड को पेश करने वाले सदस्य मुझसे सहमत हैं और सभा के बहुसंख्यक सदस्यों की भी यही राय है। वस्तुतः हम लोगों को इस उपखण्ड को रखने की इच्छा नहीं थी। भारतीय संघ के विधान के मसविदे में भी इसी तरह का एक खण्ड था पर गौर करने पर यह मालूम हुआ वह कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और इसलिये वह मसविदे से निकाल दिया गया। जो रिपोर्ट वितरित की गई है उसमें आप उस खण्ड को नहीं पायेंगे। इसी तरह इस खण्ड पर भी जब बारीकी से विचार किया गया तो पता चला कि इसे हटा देना ही श्रेयस्कर है। यह खण्ड कहता है–''यदि गवर्नर अपनी अनुपस्थिति से बराबर कर्तव्य का पालन न करे या बराबर असमर्थ रहे या चार महीने से अधिक समय तक अपने कर्तव्य का पालन न कर सके तो यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है।'' इस बात का फैसला कौन करेगा कि किस स्थिति में वह अपने कर्तव्य-पालन में असमर्थ या असफल समझा जायेगा ? इन सब बातों पर गौर करने के बाद हम लोग इस परिणाम पर पहुंचे कि यह उपखण्ड वस्तुतः कार्यरूप में व्यवहृत नहीं हो पायेगा। इसके अलावा यह भी तय पाया गया था कि प्रान्तीय विधान को यथासम्भव केन्द्रीय विधान के अनुरूप ही रखा जाये। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर यही तय हुआ कि इस उपखण्ड को निकाल दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि यह खण्ड निकाल दिया जाये।

***अध्यक्षः** कुछ और दूसरे संशोधन भी हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, हमारे वयोवृद्ध राजनीतिज्ञों ने मुझे परामर्श दिया है कि दो तिहाई का बहुमत काफी है। इसलिये मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

***श्री एच.वी. पातस्कर** (बम्बईः जनरल): अब चूंकि उपखण्ड हटा दिया जा रहा है, मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

(अन्य सदस्यों ने, जिन्होंने संशोधन की सूचना दी थी, अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***अध्यक्षः** श्री आयंगर आप अपना कोई संशोधन नहीं पेश कर रहे हैं ?

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रासः जनरल): नहीं, श्रीमान्!

(श्री के. सन्तानम्, पी. एस. देशमुख तथा एच. वी. पातस्कर ने अपने-अपने संशोधन नहीं पेश किये।)

***अध्यक्षः** मेरी समझ में यही संशोधन हैं जिनकी मुझे सूचना मिली है। अब खण्ड और संशोधनों पर बहस हो सकती है। यदि कोई सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो वे कह सकते हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगालः मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, उपखण्ड (3) को हटाने की बात मानने में मुझे एक दिक्कत मालूम होती है। उपखण्ड (3) में कई खास विशेषतायें हैं। दूसरी अन्य विशेषतायें तो अव्यवहारिक हैं। इसकी एक अच्छी विशेषता यह है कि गवर्नर यदि अपनी अनुपस्थिति से बराबर कर्तव्य का पालन न कर पाये तो यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है। यह बड़ी ही वांछनीय व्यवस्था है। अगर गवर्नर चार महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे तो प्रान्त का सारा काम ही रुक जायेगा। हमारा यह विनम्र सुझाव है कि हम उपखण्ड के इस अंश को रहने दें।

जहां तक खण्ड के दूसरे अंश का सम्बन्ध है, अर्थात् इस अंश का कि बराबर असमर्थ रहने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की गयी है। यह फैसला करना मुश्किल होगा कि किस स्थिति में वह कर्तव्य-पालन में असमर्थ समझा जायेगा।

***माननीय पं. गोविन्दवल्लभ पन्तः** श्रीमान् यदि आपकी अनुमति हो तो इस अनावश्यक बहस को बचाने के लिये मैं एक शब्द कहूं। मैं आपका ध्यान एक और संशोधन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कार्यक्रम पर दर्ज है। उसमें मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया हुआ होना चाहिये। यह खण्ड तीन में आता है। पूरक सूची के रूप में जो कार्यक्रम वितरित किया गया है उसमें यह 8वें नम्बर पर है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** यह बताया गया है कि मैंने जो सुझाव रखा है उसी आधार पर एक संशोधन पूरक सूची में है, पर हम लोगों को तो ऐसी कोई भी पूरक सूची नहीं देखने में आई। मैं समझता हूं कि बहुत से सदस्यों ने इसे नहीं

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

देखा हैं अगर कोई संशोधन है तो उसे इन संशोधनों के साथ ही पेश करना चाहिये ताकि उन सब पर साथ ही सदस्यों का ध्यान जा सके। अगर इस आशय का संशोध न है तो बहुत अच्छी बात है। खैर, मैं यह बता रहा था कि इस खण्ड की अच्छी बात को हमें रहने देना चाहिये। पर कर्तव्य-पालन में असमर्थता की जो बात यहां कही गयी है वह अस्पष्ट है। ''कर्तव्य-पालन में असफल'' होने की जो बात यहां कही गयी है वह भी अस्पष्ट है और इससे बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी।

दूसरे उपखंड के सम्बन्ध में मुझे कुछ कठिनाई मालूम हो रही है। मैं पूर्णत: खण्ड का विरोध नहीं करना चाहता पर मैं अपनी कठिनाई निवेदन कर देता हूं ताकि उसका स्पष्टीकरण हो जाये या यदि आवश्यक हो उसमें सुधार कर दिया जाये। उपखण्ड (4) कहता है कि गवर्नर को एक बार किन्तु एक ही बार पुनर्निर्वाचन का अधिकार होगा। मुझे इसमें कोई भी बात नहीं दिखाई देती कि कोई गवर्नर दुबारा क्यों नहीं चुना जा सकता ? मान लीजिये एक बड़ा ही अच्छा गवर्नर है जो बहुत ही योग्य है और जनता की भलाई करने को सदा तैयार रहता है। इस उपखण्ड के आखिरी हिस्से की वजह से यह गवर्नर दुबारा चुनाव के लिये नहीं खड़ा हो सकता। खराबी खण्ड के आखिरी हिस्से में है। कोई भी कारण नहीं है कि गवर्नर के चुनाव के सम्बन्ध में जनता की मर्जी पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये। गवर्नर के निर्वाचन के सम्बन्ध में यह पाबन्दी तो कुछ उसी तरह की बात हुई जैसा कि चिमनी साफ करने वाले लड़के के संबंध में बरती जाती है। चिमनी साफ करने वाला लड़का नीचे से उसके अन्दर घुस कर उसको ऊपर तक साफ करता चला जाता है, इसके लिये जरूरी है लड़का काफी छोटा हो। जब वह इस काम में अनुभवी हो जाता है और बढ़ जाता है तो इस काम के लिये फिट हो जाता है। यह प्रणाली गवर्नर के सम्बन्ध में तो लागू होनी चाहिये। माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल के सामने मैं केवल सुझाव रख रहा हूं ताकि वह इस पर गौर करें। मैं उस बात की ओर सभा का केवल ध्यान आकृष्ट करता हूं जो निरर्थक और निराधार जान पड़ती है क्योंकि कि मैं समझता हूं कि विस्तार की बातों में जाने का अभी समय नहीं आया है। आखिरी मसविदे पर राय देने के लिये सभा को काफी समय और मौका दिया जायेगा। इसलिये मैं महज सुझाव के तौर पर यह कह रहा हूं ताकि वे लोग, जिन्हें इस काम को पूरा करना है, यह बात ध्यान में रख सकें।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** श्रीमान्, जो प्रस्ताव मैंने रखा है उस पर कोई विशेष विवाद नहीं है। तीसरे खण्ड के सम्बन्ध में मैंने स्वयं

कहा है कि मैं समझता था कि एक परवर्ती खंड में उपयुक्त संशोधन पेश किया जाने वाला है। हम लोगों ने यह देखा कि यदि उपखण्ड (3) को रखा तो उससे यह कठिनाई उपस्थित होगी कि ''असमर्थ या कर्तव्य-पालन में असफल'' इस बात का निर्णय कौन करेगा। इन सब मुश्किलों से बचने के लिये परवर्ती खण्ड में एक संशोधन रखा गया है जिससे ये सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। पं. गोविंदवल्ल्भ पन्त के संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं। चौथे खण्ड के सम्बन्ध में यह सुझाव आया है कि गवर्नर के पुनर्निर्वाचन पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाये कि वह उतनी बार से ज्यादा नहीं चुना जा सकता। अगर उसे दूसरी बार चुनाव की अनुमति मिलती है तो आठ वर्षों तक इस पद पर आसीन रहता है। खण्ड में उसके तीसरी बार उम्मीदवार होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है क्योंकि कमेटी में जो बहस हुई उसमें यह सुझाया गया कि यदि प्रेसीडेंट दो बार अपने पद पर रह जायेगा तो हो सकता है कि वह अपनी शक्ति इतनी मज़बूत कर ले कि ऐसी बात कही जाये कि उसने अपनी स्थिति बड़ी दृढ़ कर ली है और सम्भव है कि उसे इस अभियोग से बरी करना मुश्किल हो जाये कि उसने तिबारा चुनाव में समर्थन पाने के लिये अपने पद से दांव-पेच किया है। यह अच्छा समझा गया कि गवर्नर के विरुद्ध ऐसे किसी अभियोग का मौका न दिया जाये और आठ वर्षों की अवधि को भी काफी लम्बा समझा गया। गवर्नर पद का उम्मीदवार काफी हैसियत का, उम्र का और अनुभव का व्यक्ति होगा और अच्छा होगा कि 8 वर्षों के बाद अलग हो जाये और अपने से कम उम्र वाले किसी व्यक्ति को गवर्नरी का मौका दे। मैं समझता हूं कि कमेटी काफी सोच-विचार करने के बाद इस निर्णय पर पहुंची है और मैं इसके सुझाव को ज्यादा अच्छा समझता हूं। इसलिये पं. पन्त के संशोधन के बाद मेरे प्रस्ताव का जो स्वरूप है, स्वीकार किया जाना चाहिये और यह खण्ड अपने संशोधित रूप में ज्यों का त्यों सभा द्वारा स्वीकृत होना चाहिये। मैं यह कहना भूल गया कि मैं श्री सन्तानम् के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्षः** मुझे दोनों प्रस्तावित संशोधनों पर–एक तो खण्ड 2 के उपखण्ड (2) के सम्बन्ध में और दूसरा खण्ड 2 के उपखण्ड (3) के सम्बन्ध में–राय लेनी है। खण्ड के प्रस्तावकर्ता ने दोनों संशोधनों को मंजूर कर लिया है; इसलिये मैं समूचे खण्ड पर सभा का मत लूंगा। पर अच्छा होगा कि खण्ड पर मत लेने के पहले मैं संशोधनों पर भी मत ले लूं।

श्री सन्तानम् का संशोधन यह है:

''खंड 2 के उपखंड (2) मे 'फेडरल पार्लियामेंट की ऊपर वाली सभा अभियोग सुनेगी' शब्दों की जगह 'फेडरल पार्लियामेंट की ऊपर

[अध्यक्ष]

की सभा अपने एक स्पेशल कमीशन द्वारा जांच के बाद अभियोग की पुष्टि करेगी' शब्द रखे जायें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** दूसरा संशोधन है पं. गोविन्दवल्लभ पंत का, जो यों है:

''खंड 2 का उपखंड (3) निकाल दिया जाये।''

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब खण्ड 2 के संशोधित रूप पर आपकी राय ली जाती है।

खण्ड 2 अपने संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3

***अध्यक्ष:** अब हम खण्ड 3 को लेते हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** आकस्मिक रूप से रिक्त स्थान। (1) आकस्मिक रूप से.....

***अध्यक्ष:** एक संशोधन की सूचना आई है कि खण्ड 2 के बाद एक दूसरा खण्ड जोड़ा जाये। मैं नहीं जानता कि आया यह संशोधन की शक्ल में पेश किया जा सकता है। हम इसे उपयुक्त स्थान में रख देंगे। अभी हम खण्डों पर, उनके मौजूदा शक्ल में विचार करेंगे।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** मेरा प्रस्ताव है कि:

''आकस्मिक रूप से रिक्त स्थान (1) गवर्नरों के स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उनको प्रान्तीय व्यवस्थापिका आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार, एकाकी हस्तान्तरित मत पद्धति के अनुसार एकाकी हस्तान्तरित मत पद्धति द्वारा निर्वाचन करके पूरा करेगी। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के पद की अवधि के शेष भाग तक पदासीन रहेगा।

(2) गवर्नर के अपनी अनुपस्थिति से कर्तव्य का पालन न करने पर या अस्वस्थ होने पर, या अधिक से अधिक चार महीने तक अपने

कर्तव्य का पालन न कर सकने पर राज्य का अध्यक्ष, गवर्नर के अपने कर्तव्य-पालन के लिये वापस जाने तक, या गवर्नर, का निर्वाचन होने तक, जैसी भी दशा हो, गवर्नर के कर्तव्यों के पालने के लिये ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जिसे वह इसके योग्य समझे।''

इसमें पं. गोविन्दवल्लभ पन्त एक संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे जैसा कि खण्ड 2 पर बहस के दौरान सुझाया गया था। इसलिये मैं केवल इसी हिस्से को विचारार्थ उपस्थित करता हूं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

(सर्वश्री वी.सी. केशवराव, एम. अनन्तशयनम् आयंगर तथा शिब्बनलाल सक्सेना ने अपने संशोधन नहीं पेश किये।)

***माननीय पं. गोविन्दवल्लभ पन्तः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:

''प्रत्येक प्रान्त के लिये डिप्टी गवर्नर होगा जिसको प्रान्तीय व्यवस्थापिका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकाकी हस्तान्तरित मत पद्धति के द्वारा, हर साधारण निर्वाचन के बाद चुनेगी। गवर्नर का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर, उसके शेष कार्यकाल तक डिप्टी गवर्नर रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा तथा गवर्नर की अनुपस्थिति में वह उसकी जगह काम करेगा।''

खण्ड 3 का प्रथम भाग अर्थात् उपखण्ड (1) हमारे संशोधन में शामिल है। चन्द मिनट पहले मैंने जो संशोधन रखा था उसके स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप जो आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसके निर्वाह की इसमें व्यवस्था की गयी है और इसमें और खण्ड 3 में यही अन्तर है। मूल खण्ड में यह व्यवस्था थी कि आकस्मिक रूप से गवर्नर का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति चुनाव द्वारा होगी। मामला व्यवस्थापिका के अधिकार में होगा और प्रांतीय व्यवस्थापिका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकाकी हस्तान्तरित मत पद्धति के द्वारा एक स्थानापन्न गवर्नर का निर्वाचन कर लेगी।

यदि अल्पकाल के लिये गवर्नर का स्थान रिक्त हुआ, जैसा कि हो सकता है, तो उपखण्ड (2) में उसके लिये यह व्यवस्था कि फेडरेशन के प्रेसीडेण्ट

[माननीय पं० गोविन्दवल्लभ पंत]

स्थायी गवर्नर का कार्यभार संभालने के लिये एक गवर्नर मनोनीत करेगा। मेरी समझ में फेडरेशन के प्रेसीडेण्ट पर यह बोझा लादना बुद्धिमत्ता की बात न होगी। उसके अलावा, ऐसा करना कुछ हद तक प्रान्तीय स्वाधीनता के सिद्धान्त के प्रतिकूल भी होगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, फेडरेशन के लिये जो विधान बनाया गया है उसमें यह व्यवस्था सोची गयी है कि साधारण निर्वाचन के बाद एक वाइस-प्रेसीडेण्ट चुना जाये। वाइस-प्रेसीडेण्ट इसलिये चुन दिया जाता है कि यदि स्थान रिक्त हुआ या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि प्रेसीडेण्ट की जगह दूसरे व्यक्ति का आना आवश्यक हो तो इस हालत में प्रेसीडेण्ट का कार्यभार संभालने के लिये एक व्यक्ति हमें तुरन्त मिल सके। प्रस्तावित संशोधन द्वारा मैं एक ऐसी ही व्यवस्था का सुझाव रख रहा हूं जो फेडरेशन के लिये स्वीकार की जा चुकी है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, कई बाहरी देशों के विधानों में प्रेसीडेण्ट के साथ-साथ साधारण निर्वाचनों द्वारा एक वाइस-प्रेसीडेण्ट के चुनाव की भी व्यवस्था रखी गयी है। हमारे लिये यह जरूरी नहीं है कि हम भी इसी तरह की एक बोझिल व्यवस्था अपना लें क्योंकि वाइस-प्रेसीडेंट पर कोई ज्यादा कार्य-भार नहीं है और फिर चार वर्ष के अन्दर अल्पकाल के लिये, गवर्नर का काम संभालने के लिये दुबारा गवर्नर चुनने में बड़ा अनावश्यक परिश्रम और खर्च पड़ेगा। इन सब बातों को देखते हुये यही वांछनीय समझ में आता है कि इसके लिये कोई और सरल व्यवस्था अपनाई जाये। इसीलिये इस संशोधन के जरिये यह सुझाया गया है कि व्यवस्थापिका द्वारा एक डिप्टी गवर्नर चुना जाये ताकि गवर्नर का स्थान स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रिक्त होने पर, उसका कार्य-भार संभालने के लिये एक व्यक्ति तुरन्त मिल जाये।

यह भी सम्भव है कि गवर्नर को आवश्यक सार्वजनिक काम से बाहर जाना पड़े, आवश्यक कूटनीति सम्बन्धी कार्य से उसे कुछ काल के लिये बाहर भेजना पड़े या हो सकता है कि कुछ सीमित काल के लिये उसे दूसरे का काम देखना पड़े जिससे वह गवर्नर के काम का निर्वाह अच्छी तरह न कर पाये। ऐसे अवसरों के लिये हमारे पास एक डिप्टी गवर्नर होना चाहिये। जब मैंने अपना पहला संशोधन पेश किया था तो एक सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था। मेरा यह संशोधन इसी स्थिति के निर्वाह के लिये है। यह बिल्कुल साफ है और आशा है सभा सर्वसम्मति से इसे स्वीकार करेगी।

***अध्यक्षः** श्री सन्तानम्, आपका भी एक संशोधन है।

***श्री के. सन्तानम्:** मैं उसे पेश करना नहीं चाहता।

***अध्यक्षः** श्री बी. दास, आपका संशोधन?

***श्री बी. दास** (उड़ीसाः जनरल): मैं उसे पेश करना नहीं चाहता।

***अध्यक्षः** खण्ड 1 में एक संशोधन की सूचना डा. देशमुख ने दी है। आप इसे पेश करना चाहते हैं ?

***डा. पी.एस. देशमुखः** पं. पन्त के संशोधन में मेरी बात आ जाती है, इसलिये मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

***अध्यक्षः** खण्ड और पं. पन्त का संशोधन दोनों ही पेश हो चुके हैं। मूल प्रस्ताव और संशोधन पर सदस्य जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अब कह सकते हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों के सम्बन्ध में मुझे दूसरी बार यहां आना पड़ा, इसका मुझे अफसोस है। जो संशोधन अभी पेश किया गया है वह हम लोगों को नहीं भेजा गया था। पेश होने के बाद ही मैंने इसे देखा। इन संशोधनों की तह तक पहुंचना हम लोगों के लिये मुश्किल है। मूल खण्डों का मसविदा एक माहिर कमेटी ने तैयार किया है जिसमें ऐसे लोग हैं जो बड़े राजनीतिज्ञ, वैधानिक कानूनों के विशारद और साथ ही मसविदा बनाने में भी कुशल हैं। जब ऐसे लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है तो यह जरूरी हो जाता है कि हम संशोधनों पर खूब गम्भीरता से विचार करें। मेरी समझ में, ऐसे खंडों और संशोधनों को, जिनका विधान सम्बन्धी शुष्क प्रश्नों से सम्बन्ध है, तुरन्त समझ लेना हम साधारण आदमियों के लिये और भी मुश्किल है। श्रीमान्, मेरा तो यह निवेदन है कि इस तरह के गम्भीर संशोधन को जिससे मूल खण्ड के बुनियादी स्वरूप में ही परिवर्तन आ जाता हो, तब तक पेश करने की अनुमति न मिलनी चाहिये जब तक हमें इस बात के समझने के लिये काफी समय न दे दिया जाये कि इसका खण्ड पर तथा समूची रिपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं क्लाजों के आधार पर बिल का आखिरी मसविदा तैयार होकर हमारे सामने विचारार्थ पेश किया जायेगा। ऐसे आवश्यक मामले में, मैं समझता हूं कि कुछ सावधानी से काम लेना चाहिये और इस पर विचार करने के लिये हमें कुछ समय मिलना

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

चाहिये। मैं देखता हूं कि मूल खण्ड पर बहुत से संशोधन रखे गये हैं। मुझे इसमें शक नहीं है कि अगर ये संशोधन हम लोगों को भेजे गये होते तो बहुतेरे संशोधनों का सुझाव आया होता।

ऐसी हालत में मेरा सुझाव है कि इस खण्ड को हम जल्दी में निपटा न दें। कुछ न कुछ समय, जैसा आप या सभा मुनासिब समझे, हमें मिलना चाहिये, भले ही वह थोड़ा ही क्यों न हो। श्रीमान्, मैं इस बात को साफ कर देता हूं। सहयोग की भावना से हम सभा से थोड़ा समय मांगते हैं। मैं खण्ड और संशोधन को उपस्थित करने वाले माननीय सदस्यों से भी जो हमारे देश की बड़ी विभूतियों में हैं, हमें थोड़ा समय देने का अनुरोध करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि जरा सोचिये तो सही कि हम साधारण आदमियों के लिये यह कितना मुश्किल काम है कि बिना काफी सोचे-समझे हम विधान सम्बन्धी अहम मामलों पर अपनी राय दे सकें। मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और हमें स्थिति को समझने के लिये थोड़ा समय दें।

***अध्यक्षः** खण्ड और संशोधन पर कोई और भी बोलना चाहता है?

***श्री बी. पोकर साहिब बहादुर** (मद्रासः मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, सभा को इस बात पर विचार करना है कि आया मूल खण्ड रखा जाये या उसकी जगह संशोधन में बताया हुआ खण्ड स्वीकार किया जाये। मैं समझता हूं कि हमें उन कई कारणों से, जिनका संशोधनकर्ता ने जिक्र किया है, संशोधन को ही स्वीकार करना चाहिये। यह बात बुद्धिमत्ता के बिल्कुल परे होगी कि हम इस पेचीदा पद्धति को अपनाकर चार वर्ष के अन्दर ही दुबारा चुनाव की स्थिति की सम्भावना उत्पन्न कर दें। इस स्थिति को बचाने के लिये यह कहीं अच्छा होगा कि हम आम चुनाव के साथ-साथ एक डिप्टी गवर्नर भी चुन लें। इसलिये मैं प्रस्तावित संशोधन का बड़ी खुशी से समर्थन करता हूं। परन्तु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा चुनाव होने के सम्बन्ध में मुझे एक सन्देह है। श्रीमान्, मैं कहूंगा कि आप इस प्रश्न पर गौर कीजिये कि जब एक उम्मीदवार को चुनना ही हमारा उद्देश्य हो तो क्या यह पद्धति कार्यकारी होगी ? अगर एक से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनना हो तो यह पद्धति बड़ी कार्यकारी होगी ? यह तो मैं समझता हूं। परन्तु जब एक ही उम्मीदवार को चुनना है तो मैं नहीं समझ सकता कि यह पद्धति किस हद तक हमारे उद्देश्य में सहायक हो सकेगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एकाकी हस्तांतरित मत-पद्धति द्वारा निर्वाचन

का उद्देश्य ही यह है कि इसके जरिये भिन्न-भिन्न दलों को या विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। परन्तु अगर चुनाव के लिये एक ही उम्मीदवार है तो उस स्थिति में इस पद्धति के परिश्रम को ढोना, मुझे शक है कि कोई बुद्धिमानी की बात न होगी। यह सभा के विचारने की बात है और खास तौर पर उन विशेषज्ञों के जिन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की है। निश्चय ही उन्होंने इस बात पर भी विचार किया होगा। इस प्रणाली का एक खास उद्देश्य है, और जब चुनाव के लिये एक ही उम्मीदवार हो तो इसके अपनाने में कोई फायदा नहीं है। पर जैसा मैंने कहा है, यह बात सभा के विचारने की है। मैंने किसी संशोधन की सूचना तो नहीं दी है, पर आशा है रिपोर्ट बनाने वाले विशेषज्ञ इस पर विचार करेंगे।

***श्री अनन्तशयनम् आयंगरः** मालूम पड़ता है कि अन्तिम वक्ता की यह धारणा है कि डिप्टी गवर्नर का चुनाव प्रान्त के सभी वयस्क मतदाता करेंगे। पर बात यह नहीं है। उसका चुनाव प्रान्तीय व्यवस्थापिका करेगी जहां केवल 150 या 200 मेम्बर होंगे। इस हालत में यह कोई बड़ा मुश्किल काम न होगा। 150 या 200 वोटरों की संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। और कई भिन्न संस्थाओं के लिये भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा चुनाव की व्यवस्था हमारे यहां मौजूद है। उदाहरण के लिये, कौंसिल ऑफ स्टेट को ही लीजिये, वहां वोटरों की संख्या 3,000 है। प्रान्तीय व्यवस्थापिका में, मैं समझता हूं, वोटरों की कुल संख्या 300 से ज्यादा न होगी। इसलिये इस पद्धति को अपनाने में यह कोई बड़ी दिक्कत की बात न होनी चाहिये। मेरा ख्याल है, संशोधन को हम स्वीकार कर सकते हैं।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय** (आसाम : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन पर बोलूंगा। आकस्मिक रूप से गवर्नर का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति की क्या व्यवस्था हो, इस पर इसमें प्रकाश डाला गया है। परन्तु इसमें इस समस्या का समाधान नहीं है कि डिप्टी गवर्नर का स्थान रिक्त होने पर क्या किया जाये। संशोधन कहता है:

> **''प्रत्येक प्रांत के लिये एक डिप्टी गवर्नर होगा जिसको प्रान्तीय व्यवस्थापिका आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकाकी हस्तांतरित मत-पद्धति द्वारा हर साधारण निर्वाचन के बाद चुनेगी। गवर्नर का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उसके शेष कार्य-काल तक डिप्टी गवर्नर रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा तथा गवर्नर की अनुपस्थिति में वह उसकी जगह काम करेगा।''**

[माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय]

परन्तु उस हालत में क्या होगा जब कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों के स्थान रिक्त हो जायेंगे ? उस हालत में एक चीज़ पैदा हो जायेगी और काम रुक जायेगा। इस स्थिति के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये श्रीमान्, मेरी समझ में इस संशोधन से मूल प्रस्ताव अथवा खंड ही अच्छा है। जब-जब गवर्नर का स्थान रिक्त हो, प्रान्तीय व्यवस्थापिका उसकी पूर्ति कर दे। परन्तु यदि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों के ही स्थान रिक्त हो जायें तो इस संशोधन में उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरी समझ में तो मूल खंड इस संशोधन से बेहतर है।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मि. पोकर ने सभा के सामने जो बात उठाई है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा चुनाव की व्यवस्था यहां क्यों रखी गयी है, इसका यथेष्ट स्पष्टीकरण तो स्वयं खंड में ही विद्यमान है। अगर चुनाव की यह पद्धति यहां न अपनाई जाती तो इसका नतीजा यह होगा कि कोई भी व्यक्ति आधे से भी कम मतदाताओं का समर्थन पाकर डिप्टी गवर्नर चुना जायेगा, पर अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति के जरिये चुनाव होगा तो सफल उम्मीदवार को जितने भी वोट पड़ेंगे उनमें से आधा और एक वोट ज्यादा पाना होगा। इसीलिये तो यह पद्धति आवश्यक समझी गई है।

रेवरेंड निकोल्स राय ने कहा है कि अगर डिप्टी गवर्नर और गवर्नर दोनों के ही स्थान एक साथ खाली हो जायें तो क्या किया जायेगा ? इसके सम्बन्ध में यही कहना है उस समय इस स्थिति की कल्पना करना जरा कठिन है। हम तीसरे व्यक्ति की व्यवस्था कर सकते हैं, पर सम्भव है उसका भी स्थान खाली हो जाये। इसलिये इस समय तो हम केवल एक साधारण सिद्धान्त ही स्थिर कर सकते हैं। परन्तु अगर दुर्भाग्य से गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और शेष लोग भी लुप्त हो जायें तो फिर हकूमत की समूची मशीन ही टूट जायेगी। ऐसी दुरूह कल्पनाओं में जाना हमें आवश्यक नहीं है। हम लोग यही आशा करते हैं कि गवर्नर अपना काम करते रहेंगे और यदि नहीं तो उनके कार्य-काल तक डिप्टी गवर्नर उनका काम देख देंगे।

श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय जिस कमेटी ने प्रस्तुत रिपोर्ट तैयार की है उसका सभापतित्व सरदार वल्लभभाई पटेल

जैसे प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति ने किया है और हम समझते हैं प्रत्येक पहलू पर विचार करने का पूरा मौका कमेटी में दिया गया था। और अब जबकि यह रिपोर्ट सभा के सामने आई है, इसमें किसी भी परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि मैं पं. पन्त का विरोध कर रहा हूं या उनकी आलोचना कर रहा हूं; क्योंकि शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक तीनों ही दृष्टियों से मैं इसके लिये अक्षम हूं। *(हंसी)* पर मेरी समझ से यह ज्यादा अच्छा होगा, अगर हम यह जान लें कि गवर्नर की उपस्थिति में डिप्टी गवर्नर के क्या काम होंगे। क्या उसका यही काम होगा कि वह यही चाहे और इसी बात की प्रार्थना करे कि गवर्नर गैर हाजिर हो जाये या अपना कार्यभार संभालने में किसी प्रकार अक्षम हो जाये ताकि उसका स्थान रिक्त हो *(हंसी)*? यह प्रश्न हमारे ध्यान में आना चाहिये और इस पर हमें विचार करना चाहिये।

और फिर श्रीमान्, इस संशोधन के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में एक डिप्टी गवर्नर होना लाजिमी होगा। यह डिप्टी गवर्नर अवैतनिक होगा या उसको वेतन दिया जायेगा? अगर वह वेतनभोगी होगा तो फिर आसाम और उड़ीसा जैसे गरीब प्रान्तों को आप बाध्य क्यों करते हैं कि वह एक डिप्टी गवर्नर रखे ही और उसके खर्चीले ठाट-बाट का निर्वाह करे?

और फिर श्रीमान्, मैं उन लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो गवर्नर पद पाने के लिये प्रयत्नशील हो सकते हैं। पर ईश्वर न करे ऐसा हो, यदि चुनाव के बाद ही गवर्नर का निधन हो जाये तो क्या डिप्टी गवर्नर भी जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चन्द व्यक्तियों द्वारा हुआ है, वही हैसियत पायेगा जो गवर्नर का होगा, जिसका निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर होगा? यहां यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में वाइस प्रेसीडेंट को वही अधिकार प्राप्त हैं जो प्रेसीडेंट को, पर उसके निर्वाचन में समूचा देश भाग लेता है। इसलिये इतने व्यापक अधिकार आप डिप्टी गवर्नर को क्यों दे रहे हैं? जिसके निर्वाचन में सभी वयस्क लोग नहीं, प्रत्युत केवल चन्द लोग ही भाग लेंगे? ये बातें ऐसी हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिये और आशा है इन प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया जायेगा।

***श्री देवी प्रसाद खेतान** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): श्रीमान्, मसविदा के भिन्न-भिन्न खंडों को समझने के पहले हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सरदार पटेल ने इसको पेश करते हुये प्रारम्भ में ही कहा था कि ये खंड पूर्ण

[श्री देवी प्रसाद खेतान]

नहीं हैं और न आखिरी मसविदे के तौर पर पेश किये जा रहे हैं। ये सिर्फ सिद्धान्त के रूप में रखे जा रहे हैं जिन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं। जिन सिद्धान्तों को हम स्वीकार करेंगे वह फिर एक दूसरी मसविदा-कमेटी के सामने जायेगा जो उन्हें ठीक-ठीक रूप देगी और उनमें जो भी त्रुटियां रह जायेंगी उनको ठीक करेगी। मूल मसविदे में, जो हमारे सामने पेश किया गया था, यह कहा गया था कि ''यदि गवर्नर अपनी अनुपस्थिति से बराबर कर्तव्य का पालन न करे या बराबर अस्वस्थ रहे या चार महीने से अधिक समय तक अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहे तो यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है।''

यहां कर्तव्य-पालन में असमर्थ रहने की जो बात कही गई है वह बड़ी अनिश्चित और अस्पष्ट है। यह कैसे समझा जाये कि वह कर्तव्य-पालन में अक्षम है? यह तय करना मुश्किल है कि बीमारी के अतिरिक्त और किस हालत में उसे बराबर कार्य में असमर्थ समझा जायेगा। एक आदमी तो यह समझ सकता है कि गवर्नर कर्तव्य-पालन में चूक रहा है, पर बहुत-से लोग और खुद गवर्नर यह मान सकते हैं कि वह अपने कर्तव्य-पालन में अक्षम नहीं हैं और फिर इसे खंड 3 के उपखंड 1 और 2 के साथ पढ़िये:

''गवर्नरों के स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उनको प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव द्वारा पूरा करेगी।''

कहने का मतलब यह है कि आकस्मिक रूप से गवर्नर का स्थान रिक्त होने पर उसके लिये पहले से ही तो कोई योग्य व्यक्ति तैयार नहीं खड़ा रहेगा, जिसे हम उस पर बिठा देंगे। प्रान्तीय व्यवस्थापिका द्वारा चुनाव कराने में कुछ समय लगेगा और इस बीच में गवर्नर का स्थान खाली पड़ा रहेगा और उसके कार्यों को अंजाम देने वाला कोई भी न होगा, और फिर उपखंड 2 में जिसे खंड 2, 3, के साथ पढ़ना होगा, यह कहा गया है:

''यदि गवर्नर बराबर अस्वस्थ रहे या चार महीने से अधिक समय तक वह अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहे'' इत्यादि.....

मान लीजिये कि गवर्नर बीमार है और वह छुट्टी लेकर कहीं जाना चाहता है। उसका ख्याल है कि वह तीन माह में चंगा हो जायेगा पर वह अस्वस्थ ही रह जाता है, तो इस हालत में यह तय करना बड़ा मुश्किल होगा कि चार महीने की अवधि

कब समाप्त होगी और कब नहीं। इन सभी बातों पर विचार करना पड़ा और इसके लिये समाधान ढूंढना पड़ा और यह सोचा गया कि इसके लिये दूसरी व्यवस्था सभा के सामने रखी जाये। पंडित पंत ने अपने द्वारा यही काम किया है। उनके संशोधन में कहा गया है कि हर आम निर्वाचन के बाद जब प्रान्तीय व्यवस्थापिका बैठेगी तो वह एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार एक डिप्टी गवर्नर चुन लेगी। अभी भी कुछ त्रुटि रह गई है। वह यह कि डिप्टी गवर्नर, गवर्नर का स्थान रिक्त होने पर उसके शेष कार्य-काल तक उसका कार्य-भार संभालेगा। पर यह बात यहां नहीं बताई गई है कि स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त कब समझा जायेगा और कब नहीं या यह कि खुद गवर्नर इसका फैसला करेंगे या विधान-परिषद् को सेवायें देने वाले, मसविदा तैयार करने वाले विशेषज्ञ लोग इसके लिये किसी अन्य अधिकारी की आवश्यकता पर विचार करेंगे।

***एक माननीय सदस्यः** श्रीमान्, क्या नियम के अनुसार माननीय सदस्य लिखा हुआ भाषण पढ़ सकते हैं?

***श्री देवी प्रसाद खेतानः** मेरे पास कोई लिखा हुआ भाषण नहीं है। मैं केवल खंडों को और संशोधनों को देख लेता हूं, क्योंकि वह जुबानी तो नहीं याद हैं।

जैसा मैंने कहा है, मसविदा बनाने वाले विशेषज्ञों को इस पर विचार करना पड़ेगा कि स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त कब समझा जायेगा। इस बात का फैसला करने वाला अधिकारी कौन होगा कि स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हुआ है या नहीं और यह कि डिप्टी गवर्नर यदि यह संशोधन पास हो जाता है तो—गवर्नर के शेष कार्य-काल तक उसके पद पर काम करेगा या केवल उसकी अनुपस्थिति में कुछ दिनों के लिये उसकी जगह काम करेगा। इन सभी कठिन मसलों पर विचार करना होगा। अगर पं. पंत का सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है तो बाकी विस्तार की बातों को भी पूरा करना होगा और उसे सभा के सामने पुनः विचारार्थ रखना होगा। इस स्थिति में, मैं समझता हूं कि खंड 2, 3 तथा खंड 3 के उपखंड (1) और (2) के बदले में पं. पंत का संशोधन एक अच्छा रास्ता होगा और आशा है, सभा इसे स्वीकार करेगी।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, श्रीयुत रोहिणीकुमार चौधरी ने जिस कठिनाई की कल्पना की है उससे बचने के लिये, जैसा कि हमने ऊपर वाली सभा के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है, यह आदेश दे सकते हैं कि विधान-परिषद् के सदस्य

[श्री एच.वी. कामत]

अपने-अपने प्रान्तों के सम्बन्ध में राय देकर यह फैसला कर लें कि आया उनके प्रान्त में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया जाये या नहीं।

***अध्यक्षः** प्रस्तावकर्ता अब उत्तर दे सकते हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि पूर्व वक्ताओं की बातों का जवाब उनके परवर्ती वक्ताओं ने दे दिया है। यह तो एक साधारण खंड है जिसमें यह कहा गया है कि आकस्मिक रूप से गवर्नर का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति कैसे की जायेगी और पं. पंत के संशोधन से यह प्रस्ताव और भी अच्छा बन गया है। इस सम्बन्ध में संदेह प्रकट किया गया है कि अगर गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों ही अनुपस्थित हो जायेंगे तो उस सूरत में क्या होगा। किसी भी विधान में ऐसी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, पर मनुष्य की तीव्र-बुद्धि ऐसी असाधारण और अनियमित स्थितियों का उपचार हमेशा ढूंढ लेती है। और फिर सभा को यह भी मालूम होगा कि प्रारम्भिक तीन वर्षों के अन्दर जब भी आवश्यकता उत्पन्न होगी, इस विधान में तदनुसार रद्दोबदल या संशोधन किया जा सकता है। इसलिये अगर ऐसी अप्रत्याशित कठिनाई उत्पन्न हुई तो तत्कालीन धारा-सभा स्वयं इसकी चिन्ता करेगी और स्थिति का मुकाबला करने के लिये यथासमय कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी। इसलिये पंत के संशोधन को स्वीकार करने में मुझे तो कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती, तथा इस सम्बन्ध में और सुझाव देना मुझे अनावश्यक मालूम होता है।

***अध्यक्षः** खंड 3 पर एक संशोधन पेश किया गया है, जो यों है:

''प्रस्ताव किया जाता है कि खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:

> **'प्रत्येक प्रान्त के लिए एक डिप्टी गवर्नर होगा जिसको प्रान्तीय व्यवस्थापिका आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति के द्वारा हर साधारण निर्वाचन के बाद चुनेगी। गवर्नर का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर, उसके शेष कार्यकाल तक, डिप्टी गवर्नर रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा तथा गवर्नर की अनुपस्थिति में वह उसकी जगह काम करेगा।''**

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

''खंड 3 अपने संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''भारतीय संघ के प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी हो, गवर्नर के चुनाव में खड़े होने का अधिकार होगा।''

यह खंड बिल्कुल साफ और सरल है।

***अध्यक्षः** इस खंड पर कई संशोधन हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, अधिकृत तौर पर मुझे मालूम हुआ है कि कोई पुरुष या स्त्री–क्योंकि स्त्री भी गवर्नर के चुनाव के लिये खड़ी हो सकती है– 40 वर्ष की अवस्था के पहले भी परिपक्व बुद्धि का हो सकता है। इसलिये मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देना चाहता।

***श्री वी.सी. केशव राव** (मद्रासः जनरल): श्रीमान्, मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''निम्नलिखित अंश को जोड़ कर इसे खंड 4 का उपखंड 2 बनाया जाये और वर्तमान खंड 4 को 4 (1) गिना जाये।

'(2) कोई भी व्यक्ति जो प्रान्तीय सरकार अथवा संघ सरकार या उनके अधीनस्थ किसी स्थानीय अधिकारी की स्थायी नौकरी में किसी लाभप्रद पद या ओहदे पर होगा, गवर्नर पद के लिए उम्मीदवार नहीं चुना जा सकता'।''

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

श्रीमान्, यह एक सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है कि कोई भी सरकारी नौकर किसी भी चुनाव वाले पद के लिये उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता है और इसीलिये विधान में यह व्यवस्था रखने की आवश्यकता है। यह सम्भव है कि ऐसे ऊंचे और मशहूर ओहदे के चुनाव के लिये कोई उच्चाधिकारी सरकारी नौकर खड़ा हो जाये और कुछ लोग उसे मदद दें। मैं तो यहां तक चाहता था कि ऐसे व्यक्ति को भी जो सरकारी नौकरी से पांच साल पहले तक अवकाश पा चुका हो, गवर्नर के निर्वाचन के लिये खड़ा होने का अधिकार नहीं है। यह एक समुचित संरक्षण होगा। मैं नहीं समझता कि सरकारी नौकर, चाहे वह कितना भी बड़ा कुशल शासक क्यों न हो, इतना योग्य और क्षम होगा जितना कि सार्वजनिक कार्यों में अपने को लगा देने वाला सार्वजनिक व्यक्ति होगा। सार्वजनिक व्यक्ति बहैसियत गवर्नर के जनता की ज्यादा सेवा कर सकेगा। खैर, यह संशोधन अभी सभा के सामने नहीं है। सभा के सामने मैं उससे भी लघु और आपत्ति-शून्य संशोधन रख रहा हूं कि किसी भी सरकारी नौकर को गवर्नर के चुनाव के लिए खड़े होने का अधिकार न होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

(सर्वश्री शिब्बनलाल सक्सेना और विश्वनाथदास ने अपने संशोधन नहीं पेश किये।)

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** श्रीमान्, श्री अनन्तशयनम् आयंगर के संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं।

***श्री देवी प्रसाद खेतान:** श्रीमान्, गवर्नर के लिए तो उम्र का प्रतिबन्ध लगाया गया है, पर मैं जानना चाहता हूं कि डिप्टी गवर्नर के लिये भी उम्र की कोई कैद है क्या?

(कोई उत्तर नहीं मिला)

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

''निम्नलिखित अंश को जोड़कर इसे खंड 4 का उपखंड 2 बनाया जाये और वर्तमान खंड 4 को 4 (1) गिना जाये।

'(2) कोई भी व्यक्ति जो प्रान्तीय सरकार या संघ सरकार या उनके अधीनस्थ किसी स्थानीय अधिकारी की स्थायी नौकरी में किसी लाभप्रद पद या ओहदे पर होगा, गवर्नर पद के लिए उम्मीदवार नहीं चुना जायेगा'।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अब प्रस्ताव यह है कि:

''खंड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''गवर्नर के चुनाव सम्बन्धी झगड़ों की जांच और उन पर निर्णय संघ का सर्वोच्च न्यायालय करेगा।''

मैं नहीं समझता कि इस खंड में भी कोई वाद-विवाद की बात है। इसके सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामतः** सदस्यों के नाश्ता-पानी के लिये आधे घंटे के अवकाश का अनुरोध करना चाहता हूं। यह ज्यादती तो न होगी?

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** यह संशोधन है क्या? सिर्फ तीन घंटे तक सभा की बैठक होगी। वे चाय-पानी करके भी यहां आ सकते थे।

***श्री एच.वी. कामतः** अगर चाय-पानी के लिये आधे घंटे का अवकाश मिल जाये तो हम साढ़े 6 बजे तक बैठ सकते हैं।

***अध्यक्षः** सभा की कार्यवाही चालू है और सदस्यगण भी अपने चाय-पानी का क्रम चालू रख सकते हैं।

खण्ड 6

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि:

''6 (1) गवर्नर प्रान्तीय व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होगा और यदि प्रान्तीय व्यवस्थापिका का कोई सदस्य गवर्नर के पद के लिए निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उस व्यवस्थापिका में उसका स्थान रिक्त हो गया है।

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

(2) गवर्नर किसी अन्य लाभप्रद पद या ओहदे पर नहीं रहेगा।

(3) गवर्नर का एक सरकारी निवास-गृह होगा और यह प्रान्तीय व्यवस्थापिका के एक्ट द्वारा निर्धारित वेतन और भत्तों को पायेगा जो परिशिष्ट में निश्चित किये गये हैं।

(4) गवर्नर का वेतन और उसके भत्ते उसके पद की अवधि में कम नहीं किये जायेंगे।''

आप देखेंगे कि उपखण्ड 1 में यह व्यवस्था है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यवस्थापिका का सदस्य है और चुनाव में वह गवर्नर चुन लिया जाता है, तो उसे व्यवस्थापिका में अपना स्थान खाली कर देना होगा। उस हालत में उसकी व्यवस्थापिका की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है और वह गवर्नर हो जाता है। इस सम्बन्ध में कोई विवाद ही नहीं हो सकता।

उपखण्ड 2 में गवर्नर द्वारा और अन्य ओहदों को ग्रहण करने के सम्बन्ध में विचार किया गया है। उसमें उसकी मनाही की गयी है। यह भी आवश्यक है। पूर्ववर्ती खण्ड पर श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने जो संशोधन रखा है उसकी स्वीकृति के लिये हमने इस खण्ड में आवश्यक स्पष्टीकरण रख दिया है। यह खण्ड आवश्यक है।

उपखण्ड 3 में गवर्नर के निवास स्थान और उसके वेतन और भत्ते की व्यवस्था है। इसके सम्बन्ध में कुछ कहना अनावश्यक है। जब तक कि व्यवस्थापिका उसको निर्धारित नहीं कर देती तब तक के लिये अस्थायी रूप से यह व्यवस्था की गयी है।

***डा. पी.एस. देशमुखः** मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

***श्री एम.एस. अणेः** (दक्षिणी रियासतें): क्या मैं इस प्रस्ताव पर चन्द बातें कह सकता हूं?

***अध्यक्षः** अवश्य, पर संशोधन पेश हो जाने के बाद।

***श्री आर.के. सिधवाः** श्रीमान्, मेरे संशोधन में कहा गया है कि गवर्नर के वेतन की बात विधान में आनी चाहिये। मेरा यह दृढ़ मत है कि गवर्नरों की

प्रतिष्ठा और मर्यादा की रक्षा के लिये जो अब आगे से स्वयं भारतीय ही होंगे, यह आवश्यक है कि उनके वेतन निर्धारित करने की बात, प्रान्तीय व्यवस्थापिका के अस्थिर विचार और उसकी सनक पर छोड़ना ठीक न होगा और जब गवर्नर का चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो उसका वेतन स्थिर करने का काम व्यवस्थापिका पर छोड़ना, जहां दलबंदी का बोलबाला होगा, प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होगा। इसलिये श्रीमान्, मैं समझता हूं कि गवर्नरों के वेतन और भत्ते की व्यवस्था विधान द्वारा ही स्थिर होनी चाहिये। हां, मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि आसाम और उड़ीसा जैसे छोटे-छोटे प्रान्तों के लिये यह जरूरी नहीं है कि वे अपने गवर्नरों को अन्य प्रान्तों के समान वेतनादि दें। यह बात भी सूची में रख दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस बात पर प्रान्तीय कमेटी, (प्रोविंशियल कमेटी) को पुनर्विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिस सूची के रखे जाने की बात कही गयी है वस्तुतः वह सूची वहां रखी नहीं गयी है। प्रान्तीय कमेटी को इस सूची पर पुनर्विचार करना चाहिये। विधान में गवर्नरों का वेतन क्या रखा जाना चाहिये यह बात मैंने सूची में दे दी है। मुझे बताया गया है कि मेरी बात पर प्रान्तीय कमेटी विचार करेगी। इसलिये मैं इस बात को प्रस्ताव के रूप में तो नहीं रखना चाहता पर इस पर जोर जरूर देना चाहता हूं ताकि प्रान्तीय कमेटी सूची पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखे। श्रीमान्, मैं फिर दुहराता हूं कि इस तथ्य को देखते हुये कि प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं में दलबन्दी का प्राधान्य होगा, हमें गवर्नरों के वेतन की व्यवस्था विधान में दे देनी चाहिये।

***अध्यक्षः** प्रान्तीय कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, मैं नहीं जानता कि यह बात उसके पास जायेगी। मैं यह जरूर समझता हूं कि जब अन्तिम रूप में विधान पर विचार होगा तो इस बात पर विचार किया जायेगा।

***श्री आर.के. सिधवाः** हां श्रीमान्, मुझे बताया भी गया है कि यह बात ध्यान में रखी जायेगी।

***अध्यक्षः** चूंकि इस खण्ड पर और कोई संशोधन नहीं है, मैं श्री अणे से कहूंगा कि वे अपना मन्तव्य व्यक्त करें।

***श्री एम.एस. अणेः** श्रीमान्, इस खण्ड के सम्बन्ध में मुझे चन्द ही बातें कहनी हैं। इसका उपखण्ड 1 कहता है कि गवर्नर प्रान्तीय व्यवस्थापिका का

[श्री एम.एस. अणे]

सदस्य न होगा और प्रान्तीय व्यवस्थापिका का सदस्य गवर्नर चुना गया तो यह समझा जायेगा कि उसने व्यवस्थापिका में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। यह बात न सिर्फ निर्वाचित गवर्नर के सम्बन्ध में ही लागू होगी, बल्कि जो भी गवर्नर होगा उसके लिये लागू होगी। उदाहरणार्थ डिप्टी गवर्नर को लीजिये। जिस संशोधन की सूचना मेरे मित्र पं. पन्त ने दी है उसके अनुसार डिप्टी गवर्नर भी गवर्नर का काम कर सकता है। इस खण्ड के अन्दर गवर्नर की जगह काम करने वाला डिप्टी गवर्नर भी आ जाता है। उक्त संशोधन में यह बात नहीं कही गयी है कि जो व्यक्ति गवर्नर की जगह काम करेगा वह व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होगा। क्योंकि उसके गवर्नर हो जाने के कारण यही समझा जायेगा कि उसने व्यवस्थापिका में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। इस हालत में व्यवस्थापिका में एक स्थान खाली होगा और उसकी पूर्ति करनी होगी। इस संशोधन का यह परिणाम होगा। हमें इस मसले पर विचार करके यह देखना चाहिये कि स्थिति को और स्पष्ट करने के लिये क्या किया जा सकता है और मुझे कुछ नहीं कहना है। यही एक बात मेरे ख्याल में आयी और मैंने व्यक्त कर दी।

***अध्यक्षः** और कोई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं?

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** अध्यक्ष महोदय, खण्ड 6 को लेकर जिस पर अभी गौर किया जा रहा है, मुझे एक कठिनाई मालूम हो रही है। पहले उपखण्ड में कहा गया है कि गवर्नर प्रान्तीय व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो गवर्नर चुना जाने के बाद ऐसा समझा जायेगा कि उसने व्यवस्थापिका में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। उपखण्ड 2 में कहा गया है कि गवर्नर किसी भी अन्य लाभप्रद पद या ओहदे पर नहीं रहेगा। हमने सभा में एक संशोधन रख कर जिसकी सूचना काफी पहले दी जा चुकी है, ऐसी व्यवस्था कर दी है कि गवर्नर के पद का उम्मीदवार व्यक्ति कहीं भी गवर्नमेंट के मातहत या स्थानीय हुकूमतों के मातहत भी कोई लाभप्रद पद या ओहदा नहीं ग्रहण कर सकता। यहां तक तो उपखण्ड 2 बिल्कुल दुरुस्त है।

उपखण्ड 2 में मुझे जो कठिनाई मालूम देती है वह यह है कि खण्ड में यह कहा गया है कि गवर्नर ऐसा कोई ओहदा नहीं ले सकता जिससे उसको माली नफा हो। इससे तो यह भी अर्थ निकलेगा कि गवर्नर ऐसा पद ग्रहण कर सकता है जो अवैतनिक हो। उदाहरण के लिए वह किसी म्युनिसिपैलिटी का मैम्बर हो सकता

है, या किसी लिमिटेड कम्पनी का या अन्य इसी तरह के प्रतिष्ठान का डाइरेक्टर हो सकता है। मेरा निवेदन है कि मसविदा बनाने वाली कमेटी आखिरी तौर पर विधान बनाते समय जब इस रिपोर्ट पर विचार करे तो इस बात पर भी पूरा विचार करे।

अब उपखण्ड 4 पर आइये। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि गवर्नर के काल में उसके वेतन और भत्ते आदि में कमी नहीं की जायेगी। पर इसमें यह नहीं कहा गया है कि उसके कार्य-काल में उसके वेतनादि में वृद्धि होगी या नहीं। कमेटी ने गवर्नर के वेतनादि में कमी नहीं करने दी है। इसका स्पष्ट कारण यही मालूम होता है कि गवर्नर राजनीति के दाव-पेंच का शिकार न बने और उसकी मर्यादा तथा उसके वेतनादि दलबंदी से ऊपर रखे जायें। यदि गवर्नर के वेतनादि में वृद्धि की बात व्यवस्थापिका पर छोड़ दी जाती है तो, गोकि गवर्नर वेतन-वृद्धि के किसी भी प्रयास में जरा भी हाथ न बटाये, पर जनता की ओर से यह आक्षेघ लगाया जा सकता है कि अपनी वेतन-वृद्धि के लिये वह परोक्ष रूप से कोशिश कर रहा है। मेरी समझ में विधान में इस तरह की बात आ जाने से इस ऊंचे पद की मर्यादा में कमी आ जाती। इस खण्ड के सम्बन्ध में जो संशोधन पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करूंगा। गवर्नर के वेतनादि नियत करने में व्यवस्थापिका का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये।

***श्री के.एम. मुंशीः** यह संशोधन तो वापस ले लिया गया है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** यह तो अच्छा संशोधन था। खैर, मुझे इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस बात को मसविदा बनाने वाली कमेटी ध्यान में रख सकती है।

कुछ अन्य बातें भी जिन पर सावधानी से विचार करना जरूरी है। गोकि मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त समय नहीं कि विस्तार की बातों में जाया जाये, पर मसविदा बनाने वाली कमेटी के विचारार्थ मैंने यह सुझाव रख दिये हैं।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** श्री अणे ने इस खण्ड के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उसके बारे में मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। उनका ख्याल है कि गवर्नर की अनुपस्थिति में जब डिप्टी गवर्नर कार्य करेगा तो व्यवस्थापिका में उसका स्थान रिक्त हो जायेगा। डिप्टी गवर्नर उसी सूरत में गवर्नर होगा, जब गवर्नर अपना ओहदा खाली कर देगा। पं. पन्त के संशोधन

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

के अनुसार गवर्नर का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उसके शेष कार्यकाल तक डिप्टी गवर्नर उसके ओहदे पर रहेगा और उसकी अनुपस्थिति में भी वह उसकी जगह पर काम करेगा। अगर गवर्नर अपना पद त्याग करे या उसकी मृत्यु हो जाये तो उस हालत में जब डिप्टी गवर्नर, गवर्नर होगा तो व्यवस्थापिका की सदस्यता का उसका अधिकार जाता रहेगा। पर अगर बीमारी या अनुपस्थिति के कारण गवर्नर अपना काम नहीं कर पाता है तो डिप्टी गवर्नर उसकी जगह काम करेगा। पर बहैसियत डिप्टी गवर्नर के, न कि गवर्नर के और, इसलिये इस हालत में व्यवस्थापिका में उसका स्थान रिक्त न होगा।

अब पूर्ववक्ता की बात पर आता हूं। जो उन्होंने उपखण्ड 2 के सम्बन्ध में कही है। यह उपखण्ड कहता है कि गवर्नर कोई लाभप्रद पद या ओहदा ग्रहण नहीं करेगा। उनका कहना है कि मेरा यह संशोधन कि कोई सरकारी नौकर गवर्नर के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार नहीं चुना जा सकता, काफी व्यापक है और इसलिये यह उपखण्ड अनावश्यक है। गवर्नर पद के लिये उम्मीदवार चुना जाना, और गवर्नर होने के बाद और कोई पद ग्रहण करना इन दोनों में अन्तर है, जिसे वह भूल जाते हैं। हो सकता है कि गवर्नर चुनाव के समय सरकारी नौकर न हो, पर चुनाव के बाद और कोई पद ग्रहण कर ले। मतलब यह है कि गवर्नर पूरा समय देने वाला सरकारी कर्मचारी है और वह दूसरा कोई पद नहीं ले सकता। इस उपखण्ड का यही प्रयोजन है।

अब उपखण्ड 4 को लीजिये। अक्सर जो व्यवस्थापिका गवर्नर के खिलाफ होगी, वह गवर्नर के वेतन को घटाने की कोशिश करेगी न कि बढाने की। फिर भी इस उपखण्ड में 'change' शब्द की जगह 'diminished' शब्द रखना पसन्द करूंगा।

यह खण्ड ज्यों का त्यों स्वीकार किया जा सकता है।

***अध्यक्ष:** मैं खण्ड पर मत लेता हूं। कोई संशोधन नहीं रखा गया है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** यह खण्ड यों है:

''खंड 7 प्रान्त के शासन प्रबन्ध के अधिकार को गवर्नर या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अफसरों द्वारा प्रयोग में

लायेगा, परन्तु इससे राज्य संघ की पार्लियामेंट को अधीनस्थ अधिकारों को काम सौंपने में कोई बाधा नहीं होगी, न इससे यह समझा जायेगा कि गवर्नर को कोई ऐसे काम हस्तान्तरित किये गये हैं जो किसी वर्तमान भारतीय कानून द्वारा किसी अदालत, न्यायाधीश या अफसर या किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी को सौंपे गये हों।''

मैं इस प्रस्ताव को सभा की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** श्री. अनन्तशयनम् आयंगर, आपका एक संशोधन है न?

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** मैं अपने संशोधन को अभी नहीं पेश करता। किसी दूसरे खण्ड के लिये इसे रख छोड़ता हूं।,

***अध्यक्षः** जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है, आप उसे नहीं पेश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।

***श्री विश्वनाथ दासः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''खंड 7 में निम्नलिखित अंश जोड़ दिया जाये:

'शर्त यह है कि संघीय व्यवस्थापिका ऐसे कर्तव्यों के लिए जो इसकी ओर से पूरे किये जायेंगे खर्च देगी।'।''

यह एक साधारण संशोधन है और शायद निगाह में न आया था जिससे छूट गया। सदस्यों को मालूम है कि प्रान्तीय तथा संघीय विधानों में उनके कर्तव्यों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से रख दिया गया है। वर्तमान खण्ड में संघ को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रान्तीय शासन व्यवस्था को अपने प्रान्तीय कर्तव्यों के अलावा अन्य कई कामों को पूरा करने का आदेश दे सकता है। ऐसे कामों के लिये यह न्यायसंगत है कि संघीय व्यवस्थापिका प्रान्तीय व्यवस्थापिका को खर्च दे। मैं दो कारणों से यह संशोधन रखता हूं। एजेण्ट प्रिन्सिपल का काम करता है और यह उचित है। प्रिन्सिपल एजेण्ट को अपने लिये किये हुये कामों के लिये कुछ दे। दूसरे संघ की जिम्मेवारी तभी पूरी हो सकती है जबकि संघीय व्यवस्थापिका अपने संघ के खर्च से काम चलाने के लिये किसी को एजेण्ट तैनात करे। इन कामों का सम्बन्ध संघ पार्लियामेंट के आदेशों तथा संघ विधान द्वारा प्रान्तीय शासन प्रबन्धकों के सुपुर्द किये गये कामों से हो सकता

[श्री विश्वनाथ दास]

है। ऐसे कामों के लिये यह उचित है कि प्रिन्सिपल अपने कार्यों को अंजाम देने के लिये एजेण्ट को खर्च दे। यह सच है कि गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट में एक ऐसी धारा है कि उसके कामों को प्रान्तीय शासन प्रबन्ध बिना कोई रकम लिये पूरा करें, पर हम एकात्मक शासन-पद्धति की जगह संघात्मक शासन-पद्धति स्थापित करना चाहते हैं। इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि प्रान्त को इन कामों के लिये खर्च मिलना चाहिये।

***अध्यक्ष:** खण्ड 7 और उस पर संशोधन पेश हो चुके हैं। मूल प्रस्ताव और संशोधन दोनों पर ही अब विचार किया जा सकता है। जो सदस्य इस पर कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

***श्री अजित प्रसाद जैन** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): श्रीमान्, प्रस्तुत खंड में यह कहा गया है कि प्रान्त के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकारों को गवर्नर या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अफसरों द्वारा प्रयोग में लायेगा। संघ-विधान समिति ने भी इसी तरह के एक खण्ड की सिफारिश की है, जो यों है: ''इस विधान के आदेशों के अधीन संघ का शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होगा।'' प्रस्तुत खण्ड अर्थात् वह खण्ड जिसकी सिफारिश प्रान्तीय विधान समिति ने की है, कम या वेशी सन् 1935 के गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट के आधार पर है। गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट में इस बात को रखने का एक कारण था। सन् 1935 के एक्ट के अनुसार कुछ नौकरियां ऐसी थीं जो भारत मंत्री के नियंत्रण के अधीन थीं, पर उन्हें काम करना पड़ता था, भारत सरकार के अधिकाराधीन। परन्तु इस नवीन विधान में यह भेद उठा दिया जायेगा। मैं नहीं समझता कि किसी तरह के भेद को स्थायी बनाने के लिये यहां यह काव्य रचना की गयी है। पर जो भी हो, मेरा यह ख्याल है कि संघ-विधान समिति ने जो खण्ड रखा है वह सरल है और उसकी वाक्य रचना ज्यादा अच्छी है और शायद उसको रख लेने में ही अधिक बुद्धिमानी है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** इस खण्ड के सम्बन्ध में एक ही संशोधन है जिसे श्री विश्वनाथ दास ने रखा है। वह यह है कि संघीय व्यवस्थापिका ऐसे कर्तव्यों के लिये जो इसकी ओर से पूरे किये जायें, खर्च देगी। मुझे डर है कि यहां कुछ गलतफहमी हो गयी है, अन्यथा यह संशोधन नहीं आता। उनकी

यह धारणा है कि यहां संघ के अधिकारियों के कर्तव्यों की बात कही गयी है। इस खण्ड का आशय यह है कि प्रान्त के शासन प्रबन्ध के अधिकार को गवर्नर या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अफसरों द्वारा प्रयोग में लायेगा। यहां केवल प्रान्त के शासन प्रबन्ध के अधिकार की बात कही गयी है न कि संघीय शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकारों की बात। इसलिये यह सवाल ही नहीं उठता कि संघीय व्यवस्थापिका से खर्च देने को कहा जाये। गलतफहमी या खण्ड को गलत समझने के कारण यह संशोधन पेश किया गया है। यह खण्ड बिल्कुल विवादशून्य है। आशा है, सभा इसे स्वीकार करेगी।

***अध्यक्षः** खण्ड 7 पर संशोधन रखा जा चुका हूं। प्रस्ताव यह है कि ''निम्नलिखित आदेश खण्ड में जोड़ दिया जाये:

'शर्त यह है कि संघीय व्यवस्थापिका ऐसे कर्तव्यों के लिए जो इसकी ओर से पूरे किये जायेंगे, खर्च देगी।''

संशोधन नामंजूर हुआ।

***अध्यक्षः** अब मैं मूल खण्ड पर राय लेता हूं, जो यों है:

''प्रान्त के शासन प्रबंध के अधिकार को गवर्नर या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अफसरों द्वारा प्रयोग में लायेगा, परन्तु इससे राज्य संघ की पार्लियामेंट को अधीनस्थ अधिकारियों को काम सौंपने में बाधा नहीं होगी, न इससे यह समझा जायेगा कि गवर्नर को कोई ऐसे काम हस्तान्तर किये गये हैं जो किसी वर्तमान भारतीय कानून द्वारा किसी अदालत, न्यायाधीश या अफसर या किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी को सौंपे गये हों।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** मैं खण्ड को पेश करता हूं, जो यों है:

''इस विधान के आदेशों के, और यदि कोई विशेष समझौता हो तो उसके, विपरीत न जाते हुये हर एक प्रान्त के शासन-प्रबंध सम्बन्धी अधिकार की सीमा उन मामलों तक होगी, जिनके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार हो।''

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

[नोट: इस आदेश में विशेष समझौते की ओर जो संकेत किया गया है उसकी कुछ व्याख्या आवश्यक है। यह सम्भव है कि भविष्य में कुछ भारतीय रियासतों या भारतीय रियासतों के समूहों की यह इच्छा हो कि कुछ पारस्परिक हित के विशेष मामलों में उनका और किसी पड़ोस के प्रान्त का एक ही शासन प्रबन्ध हो। ऐसी दशाओं में सम्बन्धित नरेश एक विशेष समझौते द्वारा इस प्रान्त को आवश्यक अधिकार सौंप सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इससे किसी सम्बन्धित रियासत या रियासतों के राज्य संघ में सम्मिलित होने में कोई बाधा न होगी, क्योंकि राज्यसंघ में सम्मिलित होने के विषय का सम्बन्ध राज्यसंघ के विषयों से होगा और जिस अधिकार को सौंपने की यहां कल्पना की गयी है उसका सम्बन्ध प्रान्तीय विषयों से होगा।]

सभा की स्वीकृति के लिये मैं इसे उपस्थित करता हूं।

***अध्यक्ष:** श्री सन्तानम्, आपने एक संशोधन भी दिया है न!

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, मेरा ख्याल है कि इस खण्ड पर व्यापक रूप से विचार करना आवश्यक है। खण्ड का सार यही है कि हर एक प्रान्त के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार की सीमा उन मामलों तक होगी जिनके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार हो। जहां तक इस सिद्धान्त का प्रश्न है, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

***अध्यक्ष:** क्या यह ठीक न होगा कि संशोधनों के पेश हो जाने पर हम इस पर विचार करें?

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** मैं यह कहने जा रहा था कि इस खण्ड पर विचार कल प्रात:काल के लिये स्थगित रखा जाये, यदि ऐया सम्भव हो तो।

***अध्यक्ष:** यह सम्भव हो सकता है। पर मेरी समझ में यह ज्यादा अच्छा होगा कि संशोधन पेश कर दिये जायें, ताकि सदस्यों को मूल खण्ड और संशोधन दोनों पर ही विचार करने का मौका मिल जाये।

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** तब मैं अपनी बात आगे के लिये सुरक्षित रखता हूं।

***अध्यक्षः** ठीक है।

***श्री के. सन्तानम्ः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं किः

''खण्ड 8 में 'इस विधान के आदेशों के, और यदि कोई विशेष समझौता हो तो उसके, विपरीत न जाते हुये' शब्दों की जगह ये शब्द रखे जायें 'ऐसी सीमाओं और ऐसे विस्तारों के अधीन जिनकी व्यवस्था विधान में की गयी हो'।''

श्रीमान्, जैसा कि सर अल्लादी कृष्णास्वामी ने कहा है, साधारणतः प्रत्येक प्रान्त का शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार उन्हीं मामलों तक सीमित होता है जिनके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार है। मेरे संशोधन का मतलब यह है कि प्रान्त को अपने शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार सीमा के बाहर जाने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इसके लिये राज्य-संघ के विधान में खासतौर पर व्यवस्था होनी चाहिये कि किस प्रकार कोई प्रान्त अपने पड़ोसी प्रान्त या रियासत से समझौता करता है और अपनी शासनाधिकार सीमा बढ़ा सकता है। और इसी व्यवस्था के अधीन प्रान्त ऐसा कर सकते हैं, न कि अपने अधिकार के बल से। ऐसा न होगा तो समूचे राज्य-संघ में गड़बड़ी पैदा होगी और विकट स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। हो सकता है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल को इसे रोकने की क्षमता न हो और वह कठिनाई में पड़ जाये। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे समझौतों के अधिकार उन नियंत्रणों तक ही सीमित रहें जो विधान में दिये गये हों। इसलिये ऐसे समझौते उन पाबन्दियों के अधीन ही किये जायेंगे जिनकी व्यवस्था विधान में हो। किसी भी प्रान्त को यह अधिकार न होना चाहिये कि वह विधान के बाहर जावे; किसी पड़ोसी प्रान्त या रियासत से कोई समझौता करे। इसी आवश्यक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये मैंने संशोधन रखा है।

हां, जैसा सर अल्लादी कृष्णास्वामी ने कहा है, यदि इस पर विचार स्थगित रखा जाता है और कोई इससे अच्छा मसविदा बनाया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूं कि यह खण्ड ज्यों का त्यों रहने दिया जाये जिससे कि प्रान्त ऐसा समझे कि वह पड़ोसी रियासतों के साथ जैसा चाहे सम्बन्ध रख सकते हैं और इच्छानुसार संघ-सरकार को पूछे या बेपूछे, जैसा चाहें समझौता कर सकते हैं। ऐसे मामले में संघ-सरकार की अनुमति आवश्यक होनी चाहिये।

[श्री के. सन्तानम्]

न सिर्फ संघ-सरकार की ही अनुमति बल्कि कुछ मामलों में तो संघीय व्यवस्थापिका की अनुमति भी लाजिमी होनी चाहिये। किन मामलों में संघ-सरकार की स्वीकृति से समझौता होगा और किन मामलों में संघीय व्यवस्थापिका की स्वीकृति से, इन सबकी व्यवस्था संघ के विधान में होनी चाहिये। इस महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये ही मैंने यह संशोधन रखा है।

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यरः** श्रीमान्, मेरे पास इसका मसविदा तैयार है। श्री सन्तानम् का संशोधन दोषशून्य है। आप जैसा चाहें समझौता या व्यवस्था कर सकते हैं। इससे प्रश्न का अन्तिम रूप से फैसला नहीं हो जाता है। हो सकता है कि खण्ड के वर्तमान स्वरूप पर कोई आपत्ति न हो क्योंकि इससे हम किसी सिद्धान्त विशेष से बंध नहीं जाते हैं। परन्तु अगर हमारा उद्देश्य वस्तुतः यह है कि इस प्रश्न को सुलझाया जाये और प्रांतीय शासन प्रबन्ध को इस बात के लिये समर्थ बनाया जाये कि वह रियासतों के साथ समझौता करके आवश्यक विषय का शासन प्रबन्ध संभालें, तो इसके लिये हो सकता है विशेष व्यवस्था करनी आवश्यक हो। श्रीमान्, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक संशोधन रखूंगा, अथवा अगर संशोधन न भी पेश हो तो मैंने जो कुछ कहा है उसके सम्बन्ध में अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दूंगा।

***अध्यक्षः** मैं आपको अवसर दूंगा। अब केवल एक ही संशोधन रह गया है और उसके पेश हो जाने के बाद मैं आपको मौका दूंगा।

श्री गोकुलभाई भट्ट (पूर्वी राजपूताना रियासतः समूह): सभापति जी, मैं एक संशोधन आपके सामने रख रहा हूं। यह मेरा क्लाज 8 में संशोधन है। उसके नोट में एक ठिकाने पर लिखा है कि ''In such cases the rulers concerned may by a special agreement cede the necessary jurisdiction to the province'', यहां जहां rulers शब्द आया है उस जगह पर मैं states शब्द रखना चाहता हूं क्योंकि अभी तक इस नोट में सब जगह 'स्टेट' शब्द आता रहा है। जब हमारी रियासतों में जिम्मेदाराना हुकूमत होने वाली है और कई जगहों से इसकी स्थापना भी हो रही है तब मैं मानता हूं कि rulers अकेले ही वहां न रह जायें। लेकिन 'स्टेट' शब्द रखने में हम rulers और रियाया दोनों को शामिल करते हैं। जो Agreement होने वाले हैं और जो होने चाहियें, वह states और हुक्मरान दोनों की राय से होने चाहियें

यह हमारा मतलब है। मैं मानता हूं कि हमारे सरदार पटेल साहब को इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि rulers के बजाय states शब्द रखने से ज्यादा इज्जत बढ़ती है।

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीयः गोपाल भाई ने जो संशोधन रखा है कि रूलर्स के बजाय ''स्टेट'' शब्द रखा जाये वह मुनासिब है। क्योंकि स्टेट्स में रूलर्स शामिल हैं। इसलिये यह संशोधन मंजूर किया जाना चाहिये।

***माननीय पं. गोविन्दवल्लभ पन्तः** अध्यक्ष महोदय, यद्यपि बहुत ही महत्वशून्य और नगण्य बात है फिर भी यह प्रासंगिक है और इस सम्बन्ध में मैं प्रकाश चाहूंगा। श्री भट्ट का संशोधन एक शब्द को लेकर है जो खण्ड 8 के नोट में आया है। क्या यह नोट भी इस स्मृति-पत्र का अंश है? क्या सदस्यों को नोट के किसी शब्द पर या उसकी किसी भी बात पर संशोधन रखने का हक है? मैं नोट को इस खण्ड का लाजिमी हिस्सा नहीं समझता हूं। यह केवल व्याख्यात्मक है। व्यक्तिगत रूप से तो मैं यह समझता हूं कि नोट की भाषा के सम्बंध में चिन्ता करना आवश्यक है। यदि मूल खण्ड ही हटा दिया जाता है तो फिर नोट खुद खत्म हो जायेगा। यदि मूल खण्ड में कुछ वृद्धि की जाती है तो सम्भव है कि नोट संशोधित खण्ड से मेल न खाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका यह मत है कि नोट सम्बन्धी संशोधन रखा जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है?

***श्री के.एम. मुंशीः** श्रीमान्, मैं अपने मित्र सर अल्लादी का समर्थन करता हूं। इस खण्ड पर पुनर्विचार आवश्यक है। खण्ड का स्वरूप यह है:

> **''इस विधान के आदेशों के, और यदि कोई विशेष समझौता हो तो उसके विपरीत न जाते हुये एक प्रान्त के शासन प्रबंध सम्बन्धी अधिकार की सीमा उन मामलों तक होगी जिनके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार हो।''**

पर यहां ''यदि कोई विशेष समझौता हो, तो उसके विपरीत न जाते हुये.....'' शब्द आये हैं। इनका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। इससे तो यही ज़ाहिर होगा कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका को इस विधान की रू से नहीं प्रत्युत किसी भी किये गये विशेष समझौते की रू से कानून बनाने का हक हासिल होगा। इससे स्पष्टतः बड़ी जटिलतायें पैदा होंगी। इसलिये मेरा यह कहना है कि इस खण्ड पर विचार

[श्री के.एम. मुंशी]

करना आवश्यक है और इसको समुचित रूप देने के लिये कल तक का समय मिलना चाहिये। हो सकता है, इसका असर वैदेशिक विषयों पर भी पड़े।

***अध्यक्ष:** कुछ सदस्यों ने यह इच्छा ज़ाहिर की है इस खण्ड पर आगे विचार कल के लिये स्थगित रखना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में अन्य सदस्यों की भी राय जानना चाहता हूं। यदि बहुत से सदस्य ऐसा ही चाहते हैं कि इस पर विचार स्थगित रखा जाये तो मैं इसके सम्बन्ध में शीघ्रता नहीं करूंगा।

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** श्रीमान्, मैं श्री मुंशी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस मसले पर विचार कल के लिये स्थगित रखा जाये। पर मैं अपनी राय की पुष्टि के लिये एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि विधान के अन्दर प्रान्त के बहैसियत एक इकाई के कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं जिनकी व्याख्या की जा चुकी है। इस खण्ड के जरिये आप यह व्यवस्था कर देते हैं कि प्रान्त किसी रियासत के कहने पर कुछ विषयों का शासन प्रबन्ध अपने ऊपर ले ले। यह तो प्रान्तीय अधिकार-क्षेत्र को बढ़ा देना है। और अगर यही बात है तो क्या कानून-निर्माण सम्बन्धी, शासन प्रबन्ध सम्बन्धी तथा न्याय सम्बंधी विषयों तक उसकी अधिकार-सीमा बढ़ाई जायेगी और किस हद तक इस विशेष समझौते का समर्थन करना होगा? इस तरह के मामले में संघ की ओर से हस्तक्षेप आवश्यक है। यह ऐसे मामले हैं जिन पर सावधानी से विचार करना आवश्यक है। हम यहां केवल इतनी-सी बात जोड़ करके कि ''और यदि कोई विशेष समझौता हो तो उसके अधीन' कानून निर्माण सम्बन्धी, शासन प्रबन्ध सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी कर्तव्यों के लिये प्रान्त और रियासतों के बीच होने वाले किसी भी समझौते को निर्बाध रूप से प्रयोग में लाने का अधिकार नहीं दे सकते। इसलिये श्रीमान्, मैं श्री मुंशी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस समूचे खण्ड पर विचार कल प्रात:काल के लिये स्थगित रखा जाये। मैंने एक संशोधन की सूचना दी है। सूचना मैंने आज 2 बजे दी है, पर आशा है कि वह समय के अन्दर प्राप्त मानी जायेगी। मेरा संशोधान यों है:

''1. अध्याय 1 के पैराग्राफ 8 में 'और यदि कोई विशेष समझौता हो तो उसके' शब्द निकाल दिये जायें।

2. अध्याय 1 के पैराग्राफ 8 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ दिया जाये:

'8 (क) प्रान्त को कानून निर्माण सम्बन्धी, शासन प्रबंध सम्बन्धी या न्याय सम्बन्धी कर्तव्यों को जो किसी भारतीय रियासत को

प्रान्त और सम्बन्धित रियासत के बीच तय पाये हुये समझौते के अनुसार प्राप्त हैं, पूरा करने का अधिकार प्राप्त है। पर शर्त यह है कि समझौता उन्हीं विषयों से सम्बन्ध रखता हो जो प्रान्त के भारतीय राज्य-संघ का सदस्य होने के नाते उसकी अधिकार-सीमा के अन्तर्गत है।'

ऐसा समझौता होने पर, समझौते की शर्तों के अधीन प्रान्त को अपने समुचित अधिकारियों के जरिये कानून निर्माण सम्बन्धी, शासन प्रबंध सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी कर्तव्यों को प्रयोग में लाने का अधिकार होगा।''

अगर इस सम्बन्ध में आप कोई आदेश या व्यवस्था रखना चाहते हैं तो वह पूर्ण होनी चाहिये और इन्हीं मन्तव्यों पर होनी चाहिये। परन्तु अगर आपका यह विचार है कि इस प्रश्न को तब तक के लिये स्थगित रखा जाये जब तक कि संघ-विधान की सारी बातों पर विचार किया जायेगा, तो दूसरी बात है। पर मैं यह नहीं समझता कि एक उपखण्ड बढ़ा देने से या एक पैरा जोड़ देने से इसकी व्यवस्था हो जायेगी। इस मामले में मेरा अपना तो यही विचार है और यह मैं कह ही चुका हूं। इस सारे मामले पर विचार कल प्रात:काल के लिये स्थगित रख सकते हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न में बड़ी कानूनी जटिलतायें हैं और जैसा कि सर अल्लादी ने कहा है कि इस पर और विचार होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि दो या तीन कानून-विशारदों की एक समिति नियुक्त कर दी जाये जो इस प्रश्न पर विचार करे और यदि आवश्यक समझे तो प्रस्तुत खण्ड में संशोधन रखे या कोई सुधार करे, ताकि कल सवेरे इस मामले को सुलझाने में हमें आसानी हो।

***चौ. खलीकुज्जमां** (संयुक्त प्रान्त: मुस्लिम): मैं इसका समर्थन करता हूं।

***अध्यक्ष:** क्या आप समिति के सदस्यों का नाम सुझायेंगे ?

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** सर अल्लादी, डा. अम्बेडकर, श्री मुंशी और श्री चुंद्रीगर।

***एक माननीय सदस्यः** चूंकि मामला रियासतों से सम्बन्ध रखता है, मेरा सुझाव है कि समिति में एक रियासती प्रतिनिधि भी शामिल कर लिया जाये।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं इसके लिये सर बी.एल. मित्तर का नाम रखता हूं।

***श्री मुहम्मद शरीफ** (मैसूर): मेरा प्रस्ताव यह है कि प्रस्तावित समिति में सर आरकाट रामस्वामी मुदालियर का नाम शामिल किया जाये। इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है और इस मामले में रियासतों का हित भी शामिल है। चूंकि हम रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रश्न पर हम अपनी खूब सोची-समझी हुई बात कहें। मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न पर विचार स्थगित रखा जाये और जो कमेटी बने वह सारी बातों पर खूब विचार करे। इस काम के लिये मैसूर के दीवान का नाम कमेटी में शामिल करने का मैं सुझाव रखता हूं।

***अध्यक्षः** हमारे सामने कुल 6 नाम आये हैं। चार नाम तो पहले ही आये थे और दो नाम सर बी. एल. मित्तर और सर ए. रामस्वामी मुदालियर बाद में आये हैं। मैं समझता हूं कि सभा यही चाहती है कि यह मामला एक उपसमिति को सुपुर्द कर दिया जाये और समिति की रिपोर्ट परसों पेश हो। हम दूसरे खंडों पर विचार करेंगे और इस खंड पर परसों विचार करेंगे। एक सदस्य ने खंड के नोट के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया था कि आया नोट भी प्रस्ताव का हिस्सा है क्या? मैं नहीं समझता कि नोट प्रस्ताव का हिस्सा हो सकता है। यह तो सिर्फ व्याख्या के लिये है और नोट के सम्बन्ध में कोई संशोधन रखने की जरूरत नहीं है।

***श्री देवीप्रसाद खेतानः** मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आपके इस निर्णय के सम्बन्ध में कि नोट प्रस्ताव का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं आपका ध्यान खंड 9 के नोट की ओर खींचना चाहता हूं। शायद वह नोट प्रस्ताव का अंश ही माना जायेगा। नोट यों है: ''अधिकतर गवर्नर सलाह से काम करेगा, लेकिन निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में वह विवेक से काम करेगा।'' मैं मानता हूं कि आमतौर पर यह बात नहीं कही जा सकती और यह केवल इसी नोट के सम्बन्ध में लागू है।

***माननीय पं. गोविन्दवल्लभ पंत:** खंड 9 का नोट तो नई धाराओं के सम्बन्ध में है, जो बाद में दी गई हैं। वह खंड का हिस्सा कतई नहीं है।

***श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव** (मैसूर): श्रीमान्, कमेटी जब कल इस खंड पर विचार करे तो क्या साथ-साथ वह इस सम्भावना पर विचार करेगी कि कुछ प्रान्त कई विषयों में रियासतों के साथ समझौता कर लें और इन विषयों के शासन प्रबन्ध के लिये उन्हें कुछ अधिकार दे दें? प्रश्न के इस पहलू पर भी क्या कमेटी विचार करेगी?

***अध्यक्ष:** जब भी कोई प्रश्न उठेगा, हम उस पर विचार करेंगे। इस खंड पर विचार परसों के लिये स्थगित रखा जाता है। और अब हम दूसरे खंड को लेते हैं।

***श्री एन.बी. गाडगिल** (बम्बई: जनरल): 5½ बज चुके हैं और बेहतर होगा कि आज बैठक स्थगित हो और हम प्रात: फिर समवेत हों। हमने आज काफी काम किया है।

***अध्यक्ष:** क्या सभा की यही इच्छा है कि अब बैठक स्थगित हो?

***माननीय सदस्यगण:** 'हां'।

***अध्यक्ष:** सभा अब अवकाश चाहती है। अस्तु बैठक कल दोपहर तीन बजे के लिये स्थगित होती है। पेश्तर इसके कि हम सब उठें, मैं एक ऐलान सुना देना चाहता हूं। मेरी निगाह में यह बात लायी गयी है कि संघ-विधान पर संशोधन रखने की सूचना का समय कल पांच बजे शाम तक बहुत कम है और कुछ सदस्य चाहते हैं कि वह समय बढ़ा दिया जाये। मैं इसकी अवधि शुक्रवार 5 बजे शाम तक बढ़ा देता हूं।

इसके बाद सभा बृहस्पतिवार, 17 जुलाई, सन् 1947 ई, को दोपहर के 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।